उन्नति

विचार

वर्ष : 11 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2006

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार

समता से समानता और गरीबी निवारण 2

नज़रिया

- विश्व सामाजिक मंच के उस पार 9
- लधु ऋण से आजीविका ऋण 12

अपनी बात

- नगर आयोजन में लोक भागीदारी - भचाऊ का अनुभव 19
- सूचना का अधिकार : व्यवहार और विकास 22

गतिविधियाँ 27

अपने बारे में 31

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

सूचना का अधिकार और समानता से विकास

भारत में 'सूचना के अधिकार' का कानून बनने से उसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। सूचना का अधिकार नागरिकों को शासन व्यवस्था के बारे में तमाम जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस अधिकार से नागरिकों को यह सूचना प्राप्त होती है कि शासन किस तरह चलता है। लोकतंत्र में शासकों को चुनने का अधिकार अंततः नागरिकों का ही है। यह चुनाव अधिक सूचनाप्रद बने यह अनिवार्य है। तभी शासन अधिक लोकतांत्रिक कहलाएगा। भारत में इस अधिकार ने शासन को अपने प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए नागरिकों को मजबूत हथियार उपलब्ध कराया है। इस हथियार से उन्होंने शासकों को यानी राजनेताओं तथा सरकारी कर्मचारियों को शासन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बाध्य किया है। देश भर में सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग करके अनेक नागरिकों ने शासन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इतना ही नहीं, शासन जो काम न करता हो उसे करवाने के लिए बाध्य किया है। यह दर्शाता है कि नागरिकों ने अपने इस अधिकार का उपयोग काफी विवेकपूर्वक तथा अधिक सावधानीपूर्वक और लाभादायी तरीके से किया है। इस कानून का यह एक उल्लेखनीय पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के कारण शासनतंत्र को विकास के अनेक कार्य करने की पहल करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा है। भारतीय लोकतंत्र के हाल ही के इतिहास का यह एक उज्ज्वल प्रकरण है। सूचना के अधिकार के कानून के क्रियान्वयन में अभी भी स्थानीय स्तर पर काफी खामियाँ हैं। कानून के क्रियान्वयन की व्यवस्थाएँ व सरकारी अधिकारियों का रवैया अपेक्षित विकसित नहीं हुआ है। इसके बावजूद व्यक्तिगत रूप से लोगों ने तथा गैर-सरकारी संगठनों ने कानून के क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के कारण इस अधिकार के उपयोग से लोगों को खासी राहत होने के उदाहरण समग्र देश में देखने को मिले हैं। इस सकारात्मक पहलू को यदि हम ध्यान में लें तो तो लगता है कि इस कानून से भारत का लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनेगा।

वास्तव में, सूचना का अधिकार तमाम नागरिकों के लिए समता का वातावरण सृजित करता है। सूचना के अधिकार से नागरिकों के लिए एक ऐसे अवसर का सृजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह शासन व्यवस्था को अपने हित के लिए काम करने वाला बना सकता है। इस प्रकार, सभी के लिए अवसरों की समानता पैदा होने का अवसर सूचना के अधिकार से बढ़ता है। यह बात सही है कि शासन व्यवस्था लोगों के प्रति जितनी उत्तरदायी होनी चाहिए उतनी स्वतः ही होनी चाहिए, परंतु सूचना के अधिकार के फलस्वरूप शासन व्यवस्था को उत्तरदायी बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिससे तमाम नागरिकों के लिए समानता स्थापित करना संभव होता है। अब तक नागरिकों के लिए अधिकांशतः मात्र मत देने के मामले में समानता थी। नागरिक अब शासन को उत्तरदायी बनाने के मामले में समानता प्राप्त कर चुके हैं। यह इस कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं हैं कि क्रियान्वयन के मामले में व्याप्त खामियों को दूर करने से मात्र सूचना के अधिकार का उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि समता स्थापित होने के परिणामस्वरूप समानतापूर्ण विकास का अवसर नागरिक प्राप्त करते हैं। यह इस अधिकार की एक अतिरिक्त उल्लेखनीय उपलब्धि है। हमारे लिए इस उपलब्धि को अधिक दृढ़ करने की जरूरत है। इसी से लोकतंत्र और समतापूर्ण विकास दोनों इच्छित दिशा में आगे बढ़ेंगे।

समता से समानता और गरीबी निवारण

समानता एक आदर्श है, परंतु कई बार असमान अवसरों के कारण उसे प्राप्त करने के प्रयास सफल नहीं होते। **श्री बिनोय आचार्य** और **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा लिखित इस लेख में समानता और समता के बारे में तात्विक चर्चा और गरीबी में कमी करने में उनकी भूमिका का विश्लेषण भारत के संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में किया गया है।

प्रस्तावना

समानता की स्थापना मानवजाति का एक युग पुराना आदर्श रहा है। इस आदर्श की स्थापना के प्रयास भी मनुष्य ने तबसे किए हैं जबसे समाज की रचना हुई है और जगत के विविध धर्मों ने समानता की स्थापना के सिद्धांत व मार्ग भी दिए हैं। मनुष्यों में मूलभूत ढंग से कुछ असमानताएँ व्याप्त हैं और इससे उसके आधार पर राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक असमानताएं पैदा हुई हैं। असमानता स्वयं कदाचित बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि मूल समस्या वह असमानता है जो भेदभाव के कारण पैदा होती है।

मानव समाजों में विभिन्न व्यक्तियों व समूहों के प्रति भेदभाव रखा जाए तब पैदा होने वाली असमानता (इनइक्वोलिटी) समता (इक्विटी) के अभाव के कारण पैदा हुई होती है। जब ऐसी असमानता का शिकार होने वाले व्यक्ति या समूह उनके प्रति किए गए भेदभाव का प्रतिकार करते हैं तब वे हिंसा का भी शिकार बनते हैं और इससे उनकी असुरक्षा में वृद्धि होती है। इसी कारण उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन बढ़ता है।

इस असमानता को दूर करने के लिए, यानी कि भेदभाव दूर करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। समता (इक्विटी) की आवश्यकता इसीलिए है कि असमानता का अस्तित्व है। समता सकारात्मक भेदभाव की ओर ले जाती है। यद्यपि समता आ जाने का मतलब यह नहीं कि समानता आ गई, बल्कि उससे सक्षमता (एम्पावरमेंट) आती है।

समानता का अर्थ

समता (इक्विटी) का अर्थ यह है कि व्यक्तियों को उनका पसंदीदा जीवन जीने के समान अवसर मिलने चाहिए और उसके नतीजों की गहरी वंचितता से वे मुक्त होने चाहिए। यहां मुख्य बात यह है कि समता लम्बी अवधि की समृद्धि के मार्ग में पूरक बनती है। जहाँ संस्थाएँ और नीतियाँ समान अवसरों को प्रोत्साहन देती हैं, यानी जहाँ समाज के तमाम लोगों को सामाजिक रूप से सक्रिय, राजनीतिक रूप से प्रभावी तथा आर्थिक रूप से उत्पादक बनने का एक समान अवसर मिलता है वहां चिरंतन विकास तथा वृद्धि संभव बनती है। गरीबी में कमी करने के लिए समता उससे दुगुनी रूप से उपयोगी होती है : वह लम्बी अवधि के लिए समेकित विकास पर लाभदायी प्रभाव छोड़ती है और किसी भी समाज में गरीब समूहों के लिए अधिक मौके उपलब्ध कराती है।

दुनिया की लगभग तमाम संस्कृतियों में समता के बारे में चिंता की गई है। धार्मिक व दार्शनिक चिंतनों में तथा कानूनी संस्थाओं में समता को एक मूल्य माना गया है। अधिकांश आधुनिक कानूनी संस्थाओं में समता एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में काम करती है। इसका अर्थ यह है कि वाजिबपन (फेयरनेस) की मूलभूत प्राथमिकता मनुष्यों में बहुत गहराई में पड़ी है। इसीलिए आय की अत्यधिक असमानता व्यक्तिगत सुख-सम्पन्नता के खिलाफ है, ऐसा कई लोगों को समझ में आता है और इसीलिए वे स्वयं ही अपनी सम्पत्ति का त्याग करते हैं।

आय की असमानता और गरीबी में कमी के बीच सम्बंध है। इसीलिए असमानता के प्रति चिढ़ तथा गरीबी दूर करने के उत्साह के बीच सकारात्मक सम्बंध स्थापित होता है। यानी एक स्पष्ट हकीकत यह है कि यदि वृद्धि की अवधि के दौरान असमानता घटे

तो गरीबी में सामान्यतः कमी होती है। फिर, यह हकीकत भी है कि आय की असमानता अधिक हो तो गरीबी घटाने में आर्थिक वृद्धि का प्रभाव घटता है।

भारत के संविधान में समता तथा समानता के प्रावधान

भारत में समता से समानता की स्थापना करना एक संवैधानिक आदर्श रहा है। इसीलिए भारत के संविधान में इस बारे में विशिष्ट प्रावधान पहले से ही किए गए हैं और जब-जब और संशोधनों की जरूरत पड़ी तब-तब उसमें संशोधन भी किए गए हैं। संविधान में समता तथा समानता के प्रावधानों के बारे में कुछ विवरण यहां दिया गया है।

१. प्रस्तावना

भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना भारत के राष्ट्र जीवन के आदर्शों से ओतप्रोत है। भारत में कैसा राज्य बनाना है, यह प्रस्तावना दर्शाती है। इस प्रस्तावना में समानता के साथ जुड़ी बातें भी हैं। इसमें अन्य बातों के साथ सब नागरिकों के लिए (१) सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करना। (२) दर्जा व अवसर की समानता प्रदान करना। (३) सभी में व्यक्ति का गौरव विकसित करना भी शामिल है।

२. मूलभूत अधिकार

भारत के संविधान में भाग-३ में धारा-१२ से धारा-३५ तक भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार स्वीकार किए गए हैं। इसमें समानता के साथ सम्बंधित अधिकारों का भी समावेश है। इन अधिकारों का विवरण निम्नानुसार है :

(क) समानता का अधिकार

भारत के नागरिकों को समानता के अधिकार संविधान की धारा १४ से १८ में दिए गए हैं। इस बारे में प्रावधान इस प्रकार हैं :

कानून के समक्ष समानता

१. राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान रक्षण के लिए इनकार नहीं कर सकता। यह प्रावधान धारा-१४ में किया गया है।

भेदभाव नहीं

२. राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के कारण भेदभाव नहीं कर सकता।

(क) केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के कारण किसी भी नागरिक पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंटों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश पर नियंत्रण नहीं लगाए जा सकते अथवा प्रवेश पर शर्तें नहीं लादी जा सकती।

(ख) केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के कारण किसी भी नागरिक पर राज्य के पूर्णतः या आंशिक वित्त से चलने वाले या आम जनता के उपयोग वाले कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, रास्तों या सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर नियंत्रण लागू नहीं किए जा सकते, उन पर शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं या किसी को उसके उपयोग के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) यद्यपि, राज्य महिलाओं व बालकों के लिए विशेष प्रावधान करे तो इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि राज्य ने इन प्रावधानों का भंग किया है।

(घ) संविधान में प्रथम संशोधन १९५१ में किया गया था। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विकास अथवा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसे विशेष प्रावधान राज्य करे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्य ने उस प्रावधान का उल्लंघन किया है।

नौकरी या पद

३. राज्य के तहत नौकरी अथवा किसी पद पर नियुक्ति से सम्बंधित मामले में तमाम नागरिकों के लिए अवसर समान रहेंगे। किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के कारण राज्य भेदभाव नहीं कर सकेगा।

४. कोई नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, कुल, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी कारण राज्य की नौकरी या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा अथवा राज्य उसके प्रति भेदभाव नहीं कर सकेगा।

५. यद्यपि संसद कानून बना कर ऐसा प्रावधान कर सकती है कि जिससे नौकरी या पद पर नियुक्ति से पहले व्यक्ति को उस राज्य में रहने के लिए बाध्य किया जा सके।

६. राज्य की नौकरियों में जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो ऐसे किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को लाभ देने के लिए नियुक्तियां अथवा पद आरक्षित रखने का प्रावधान राज्य कर सकता है।

७. किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कामकाज के लिए पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा उस संस्था के संचालक मंडल का कोई सदस्य किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष का होना चाहिए, ऐसा प्रावधान हो सकता है। इसके लिए कानून बनाया जा सकता है और उस पर अमल किया जा सकता है।

अस्पृश्यता

८. संविधान की धारा-१७ के अनुसार अस्पृश्यता खत्म की गई है। किसी भी रूप में उसके पालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अस्पृश्यता से पैदा होने वाली अयोग्यता किसी व्यक्ति पर लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।

(ख) शोषण के खिलाफ अधिकार

संविधान की धारा-२३ और धारा-२४ में यह मूलभूत अधिकार दर्शाया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है :

(१) मनुष्य का व्यापार व बेगार तथा उसके जैसी जबरन कराई जाने वाली किसी भी प्रकार की मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(२) प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाला कानूनन दंड का भागी बनता है।

(३) यद्यपि, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा कराने का काम कर सकता है। ऐसी सेवा कराने में राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग के कारण कोई भेदभाव नहीं रख सकता।

(४) १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा उसे किसी अन्य जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता।

३. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान के भाग-४ में धारा ३६ से धारा ५१ तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। भारत में राज्य को एक शासन करने वाली संस्था के रूप में जैसी नीतियाँ अपनानी चाहिए, उसके सिद्धांत इस भाग में हैं। यानी उस राज्य को नीतियों के निर्माण के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। इन सिद्धांतों का वर्णन निम्नानुसार है जिनका समानता के साथ सीधा सम्बंध हैं :

१. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। इसके लिए वह यथा संभव कार्यसाधक रूप से ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से राष्ट्र जीवन की तमाम संस्थाएं स्थापित और उनका रक्षण करेगा।

२. राज्य मात्र व्यक्तियों के बीच ही नहीं, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अथवा विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच भी आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा।

३. राज्य दर्जे, सुविधाओं या अवसरों की असमानता खत्म करने का प्रयत्न करेगा।

४. राज्य को ऐसी नीति लागू करनी होगी कि जिससे ये बातें सिद्ध हों :

(क) महिला-पुरुष नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने का समान अधिकार मिले।

(ख) समाज की भौतिक साधन-सामग्री की मालिकी व नियंत्रण का वितरण लोकहित में उत्तम तरीके से हो।

(ग) अर्थतंत्र का संचालन, सम्पत्ति और उत्पादन के संसाधनों की व्यवस्था इस प्रकार की न हो कि लोकहित को नुकसान

करे।

(घ) महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

(च) पुरुष व महिला कामगारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो।

(छ) नागरिकों को आर्थिक जरूरत के कारण उनकी आय या शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े।

(ज) बच्चों को स्वस्थ रूप से और स्वतंत्रता व गौरवपूर्ण स्थिति में विकसित करने के अवसर और सुविधाएं दी जाएँ।

(झ) बच्चों व किशोरों को शोषण के खिलाफ तथा उनकी नैतिक व आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ सुरक्षा मिले।

५. राज्य संविधान के आरंभ से १० वर्ष के समय में तमाम बालकों को १४ वर्ष की आयु पूर्ण होने तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करने का प्रयत्न करेगा।

६. राज्य लोगों के कमजोर वर्ग के और खासकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि विशेष सतर्कतापूर्वक करेगा।

८. राज्य लोगों का पोषण स्तर ऊँचा लाने, जीवन स्तर ऊँचा लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने को अपना प्राथमिक दायित्व मानेगा।

९. औषधि के उद्देश्यों को छोड़ कर मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करेगा।

१०. राज्य ऐसा प्रावधान करेगा कि अपनी आर्थिक शक्ति और विकास की सीमा में रह कर काम, शिक्षा व बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व विकलांगता के मामले में और अकारण उठाई जाने वाली किल्लत के अन्य मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार नागरिक को प्राप्त हो।

११. राज्य काम सम्बंधी न्यायी व मानवोचित परिस्थिति प्राप्त करने के लिए प्रावधान करेगा।

१२. राज्य प्रसूति-सहायता के लिए प्रावधान करेगा।

१३. राज्य कानून बना कर या आर्थिक व्यवस्था द्वारा या अन्य किसी भी तरह कृषि, उद्योग व अन्य प्रकार के तामाम कामगारों को काम, निर्वाह-वेतन व विशिष्ट जीवन स्तर की परिस्थिति प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।

१४. राज्य तमाम कामगारों के फुर्सत के तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अवसरों के पूर्णतः उपयोग की गारंटी देने वाली कार्य की स्थिति स्थापित करने का प्रयत्न करेगा।

१५. राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता आधार पर गृहोद्योग की अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

१६. राज्य इसके लिए कदम उठाएगा कि कानून द्वारा या अन्य किसी भी तरह किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रशासन में कामगार भाग लें।

गरीबी का स्वरूप और असमानता

यह एक बड़ा सवाल है कि असमानता गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कितनी उपयोगी है। गरीबी के विभिन्न स्वरूप हैं और इन स्वरूपों को पहचानने के लिए इस सवाल का जवाब देना महत्वपूर्ण है। गरीबी के कई पहलू हैं परंतु उसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं :

(१) निम्न आय तथा कम धरोहरों के कारण आर्थिक सत्ता का अभाव।

(२) सामाजिक सेवाओं, अवसरों व सूचना के अभाव के कारण अथवा उनकी सीमित प्राप्ति के कारण सामाजिक व राजनीतिक सत्ता का अभाव। इसके फलस्वरूप कई बार भेदभाव पैदा होते हैं और मानव अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

१. गरीबी का आर्थिक पहलू व असमानता

गरीबी को आर्थिक संदर्भ में ही सामान्यतः व्याख्यायित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय या पारिवारिक आय तथा उपभोग के निम्नस्तर के संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाती है। इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि मात्र आय का स्तर बढ़ाने से गरीबी की समस्या का निवारण हो सकेगा।

उसका वैकल्पिक ख्याल तुलनात्मक गरीबी का या सापेक्ष गरीबी का है। वह समाजों के बीच तथा समाजों में आय के बंटवारे की असमानता को व्यक्त करता है। परंतु त्वरित आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने पर बाजार व सरकारी नीतियों ने सापेक्ष गरीबी की

अधिकांशतः अवगणना ही की है।

पिछले दो दशकों के ढांचागत व्यवस्था कार्यक्रमों व बाजार पर निर्भरता की अधिकता दोनों ने असमानता बढ़ाई है और इसीलिए ऐसी मान्यता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा है कि केवल आर्थिक वृद्धि गरीबी घटाने में सहायक होगी। अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि जब असमानता बढ़ने की बजाए घट रही हो तभी आर्थिक वृद्धि का प्रभाव गरीबी को कम करने पर सकारात्मक ढंग से पड़ता है।

फिर, यदि आर्थिक वृद्धि से असमानता बढ़ती हो तो गरीबी की स्थिति निरपेक्ष स्वरूप में नहीं तो सापेक्ष स्वरूप में भी बिगड़ती है। गरीबों को लगता है कि उनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से बिगड़ी है। उदाहरण के तौर पर बड़े उद्योगों को कर रियायतें या प्रोत्साहन दिए जाएँ तो निवेश में वृद्धि होती है और तेज आर्थिक वृद्धि होती है, परंतु यदि कम आय की नीति अपनाई जाए तो कम आय प्राप्त लोगों के उपभोग में कमी आती है और मानव पूंजी में कम निवेश होता है परंतु यदि असमानता घटाने के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत हो, ऐसी आर्थिक वृद्धि की रणनीति अपनाई जाए तो निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी दोनों घटती हैं।

यहाँ अन्य कुछ आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं :

(१) जमीन के स्वामित्व में असमानता हो तो आर्थिक वृद्धि और गरीबी में कमी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनें बहुत कम लोगों के स्वामित्व की हो और अधिक लोग भूमिहीन हों तो कई बार श्रम पर खर्च बढ़ जाता है और वृद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है।

(२) धरोहरों में यदि असमानता अधिक हो, तो भी वह वृद्धि को प्रभावित करती है। इससे शिक्षा की प्राप्ति और मानव पूंजी के संचय में प्रगति में सीमाएँ आड़े आती हैं। वास्तव में, ये दोनों पहलू उत्पादकता बढ़ाने और गरीबी घटाने में उपयोगी होते हैं। फिर, सम्पत्ति और आय की असमानता से सामाजिक तनाव भी पैदा होते हैं।

(३) जब उत्पादकता और सृजनात्मकता को योग्य मुआवजा नहीं दिया जाता तब समानता से वृद्धि को हानि पहुँचती है। इससे रचनात्मक असमानता और विनाशक असमानता के बीच फर्क करना जरूरी है।

(४) उत्पादन के संसाधनों और उत्पादक संसाधनों की प्राप्ति में असमानता से भी गरीबी घटाने पर प्रभाव होता है, क्योंकि इससे गरीबों का उत्पादन व खरीद-फरोख्त का खर्च घटता है। इससे गरीब बाजार में कम स्पर्धात्मक बनते हैं और वे अपनी आय बढ़ा नहीं सकते। गरीब जमीन, ऋण, सूचना व बाजार जैसे संसाधन कम प्राप्त करते हैं इसीलिए उनका उत्पादन खर्च बढ़ता है।

२. गरीबी के सामाजिक-राजनीतिक पहलू और असमानता

गरीबी घटाने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण पर ही यदि ध्यान दिया जाए तो मनुष्यों की पीढ़ियों के बीच गरीबी घटाने की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ती है। उसके लिए सम्पत्ति व आय एक ही पीढ़ी जमा करे तो ही ऐसा हो सकता है। इसलिए गरीबी के सामाजिक-राजनीतिक पहलुओं को गरीबी घटाने के दृष्टिकोण में शामिल करना जरूरी हो जाता है। इसमें स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार तथा कानून निर्माण की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी में वृद्धि जरूरी है। अतः मानव पूंजी में निवेश होना आवश्यक है। मानव पूंजी में निवेश होने से सामाजिक व राजनीतिक समता पैदा होती है।

मानवीय क्षमताओं में वृद्धि

समता लाने के लिए मानवीय क्षमता में वृद्धि करना जरूरी है। सम्पूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों की क्षमता बढ़ाना सभी तरह के विकास का लक्ष्य है। इसीलिए उनके शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश करना तथा जोखिमों को झेलने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी हो जाता है। बाजार व राज्य यदि इस बारे में विफल रहें तो उनकी क्षमता स्थापित करने के अवसरों में काफी असमानता पैदा होती है। जिनकी क्षमता कम होती है उनकी समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में सुदृढ़ता कम होती है।

बाजार का उल्लेखनीय पहलू यह है कि वह कार्यक्षम ढंग से संसाधनों के आवंटन में मदद करता है जबकि राज्य का उल्लेखनीय

पहलू यह है कि वह कल्याण को ध्यान में रख कर अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन पर ध्यान केन्द्रित करता है। शिक्षा की पहुँच और उसका परिणाम, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण के अन्य पहलुओं में जो असमानता दिखती है वह व्यापक है और विभिन्न देशों में बढ़ती जाती है।

१. शिक्षा की भूमिका

शिक्षा को एक ऐसे शक्तिशाली पहलू के रूप में देखा जाता है कि जो अवसरों में समानता लाती है। उसका कारण यह है कि वह व्यक्ति को ऐसी क्षमता देती है कि जिसके द्वारा वह ऊँची आय कमा सकता है, ऊँचा जीवन स्तर प्राप्त कर सकता है और जो प्रदूषित वातावरण में जीते हैं वे स्वास्थ्य के जोखिमों को टाल सकते हैं।

लिखना-पढ़ना सीखने से तथा तकनीकी या व्यवसायी कुशलता प्राप्त करने से अच्छी कमाई देने वाली और अच्छे काम की स्थिति वाली नौकरियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। फिर, ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिन बस्तियों में सफाई की अपर्याप्त सुविधाएँ व नलकूप में पानी उपलब्ध न हो वहाँ भी यदि माताएँ शिक्षित हों तो बालकों की मृत्यु दर घटती है। यह वास्तविकता यह दर्शाती है कि यदि अच्छी तरह से काम करने वाली शिक्षा व्यवस्था हो तो उसका महत्व असमानता को घटाने में काफी है।

विभिन्न देशों में तथा विभिन्न देशों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्राप्यता के बीच का अंतर काफी बड़ा है। शिक्षा की प्राप्यता के बीच की असमानता सामाजिक-आर्थिक कारणों से व्याप्त होती है इतना ही नहीं, इसमें पारिवारक पृष्ठभूमि की भी भूमिका होती है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी असमानताएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती हैं। शिक्षा व रोजगार के अवसर कई बार विरासत में मिलते हैं और इस कारण ही कई लोग क्रमबद्ध रूप से उन अवसरों से बेदखल हो जाते हैं।

कई अध्ययन यह बताते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का औसत स्तर बढ़े तो असमानता घटती है। विशेषकर यदि माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि हो और महिलाओं को वह मिले तो महिला-पुरुष असमानता घटाने के अवसर बढ़ते हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा सभी को मिले तथा खासकर लड़कियों को मिले।

शिक्षा में गुणात्मक फेरबदल के लिए सुधार भी असमानता दूर करने को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। यहाँ यह ध्यान में लिया जाता है कि असमानता का श्रम बाजार से सीधा सम्बंध है। नई तकनीकें आती जाती हैं और स्पर्धा बढ़ती जाती है। इसीलिए श्रम बाजार की मांग में परिवर्तन आता जाता रहता है। इसे ध्यान में रख कर शिक्षा में फेरबदल लाए जाएँ तो असमानता कम करने में संशोधित शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। मात्र प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा असमानता घटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

२. स्वास्थ्य की भूमिका

समतापूर्ण विकास की प्रक्रिया में स्वास्थ्य एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य की स्थिति मात्र जीवन की गुणवत्ता को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि वह अवसरों के स्तर व उत्पादकता के प्रमाण को भी निर्धारित करती है। स्वास्थ्य की जो असमानता है, उसमें ऐसा लगता है कि समाज के वंचित वर्ग स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाया करते हैं।

सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त होना जरूरी है और इसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार जरूरी है और इसी तरह उसकी कार्यक्षमता में भी सुधार होना चाहिए। बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास इसीलिए किए जाते हैं। इसीलिए पारिवारक स्वास्थ्य सुरक्षा का समन्वित दृष्टिकोण जरूरी हो जाता है।

३. सामाजिक सुरक्षा की भूमिका

सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएँ भी असमानता घटाने में काफी उपयोगी होती हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता, विकलांगता बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा आय प्रोत्साहन के अन्य स्वरूप असमानता

व गरीबी घटाने की रणनीति के बुनियादी घटक हैं। यदि पर्याप्त प्रमाण में सामाजिक सुरक्षा का तंत्र बनाया न जाए तो व्यक्तियों व परिवारों को बेरोजगारी के समय में अथवा काम न मिलने के समय के दौरान सर्वाधिक बर्दाश्त करना पड़ता है। असहाय समूहों के लोगों में यह समस्या विशेष रूप से देखी जाती है। हाल में दुनिया के ८० प्रतिशत लोग जहाँ बसते हैं ऐसे विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएँ व संस्थाएँ बहुत ही कमजोर हैं अथवा उनके लिए बहुत ही कम धन आवंटित किया जाता है।

पिछले कुछ समय से सामाजिक सुरक्षा के कदमों के पीछे सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा है जिसके कारण मात्र विकासशील देशों में ही नहीं, बल्कि सम्पन्न देशों में भी सरकारें इस क्षेत्र से किनारा कर रही हैं और उसका निजीकरण कर रही हैं। उसका इरादा इस व्यवस्था को अधिक कार्यक्षम बनाना है, परंतु बाजारोन्मुख दृष्टिकोण अपनाने से सामाजिक एकता व समानता पर बड़ा खतरा पैदा हुआ है और इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि राज्य ही सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यह जरूरी हो जाता है।

विकास के लिए समता की क्या जरूरत है ?

असमानता विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों है ? समाज के कुछ समूहों को अन्य नागरिकों की तुलना में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर कम मिलते हैं। अवसरों की असमानता न्यायिक सिद्धांत को दरकिनार करती है। विशेषकर तब जबकि असमानता का शिकार बनने वाले व्यक्ति या समूह स्वयं उसे दूर करने में कुछ करने में समर्थ नहीं हों।

यहाँ एक मुद्दा महत्वपूर्ण यह है कि जब बाजार अपूर्ण होता है तब सत्ता व सम्पत्ति की असमानता के परिणामस्वरूप असमान अवसरों की प्राप्ति होती है। इससे जो असमानता का शिकार बनते हैं उनकी उत्पादक शक्तियों का उपयोग उनके स्वयं के या समाज के और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए नहीं हो सकता। यह उनके स्वयं के तथा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित होता है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के अकार्यक्षम आवंटन में भी अवसरों की असमानता संस्थागत विकास में अवरोध पैदा करती है।

समाज में जो राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएँ स्थापित होती हैं वे ही अवसर व अवरोध दोनों पैदा करती हैं और यह तय करती हैं कि बाजार कैसे काम करेगा। इसीलिए बाजार में जो अपूर्णता दिखाई देती है वह वास्तव में अचानक पैदा नहीं हुई होती, बल्कि बाजार सम्पत्ति व सत्ता का जो वितरण समाज के विभिन्न वर्गों में करता है उसके कारण पैदा हुई होती है। बाजार की अपूर्णता स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अवरोध पैदा करती है और समाज के कुछ समूह इस अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में भी हिस्सेदार नहीं हो सकते।

असमानता, भेदभाव और असुरक्षा

असमानता जब भेदभाव के कारण पैदा होती है तब समाज में कुछ व्यक्ति या समूह आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से दरकिनार हो जाते हैं। यह स्थिति भौतिक, सामाजिक व वस्तुलक्ष्यी होती है। जो दरकिनार होते हैं वे अलगाव की अनुभूति करते हैंऔर निर्णय प्रक्रिया में वे भागीदार नहीं हो पाते। इस स्थिति के कारण उनमें असुरक्षा पैदा होती है। उसे दूर करने के लिए समता की आवश्यकता है।

समता का अर्थ इस संदर्भ में है कि सभी को उनकी सुषुप्त शक्तियों के अनुसार विकसित होने के अवसर मिलें और उसमें भेदभाव का सामना न करना पड़े। ऐसे अवसर मुहैया कराने का काम समग्र समाज को करना पड़ेगा और राज्य को कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रख कर इसमें पहल करनी होगी। इसलिए राज्य की भूमिका यह है कि समाज के वंचित, हाशिये पर धकेल दिए गए समूहों को वह मुख्य धारा में लाने के प्रयास करे।

ये प्रयास उसे असुरक्षा के सामने सुरक्षा मुहैया करा कर करने पड़ते हैं। सुरक्षा अवसरों की उपलब्धता से पैदा होती है। जब राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवहारों में वंचित समूहों को अवसर प्राप्त होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि वे समाज का ही हिस्सा हैं और समाज में उन्हें समान आधार पर जीने, रहने व विकास के अवसर

शेष पृष्ठ 18 पर

‘विश्व सामाजिक मंच’ के उस पार

२००१ से ‘विश्व सामाजिक मंच’ हर वर्ष आयोजित होता है। कुछ समय से उसके क्षेत्रीय स्वरूप भी स्थापित हुए हैं। स्थानीय समस्याओं व राजनीतिक आंदोलनों में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका क्या है और ‘विश्व सामाजिक मंच’ की ऐसी क्षेत्रीय बैठकें जितनी उपयोगी हो सकती हैं उसकी समीक्षा इस लेख में मुख्यतः वेनेजुएला की बैठक के संदर्भ में **सुश्री सुजाता फर्नांडीस** द्वारा की गई है।

प्रस्तावना

हाल ही में वेनेजुएला स्थित केराकास में (२४-२९ जनवरी, २००६), माली स्थित बामको में (१९-२३ जनवरी, २००६) और पाकिस्तान स्थित कराची में (२४-२९ मार्च, २००६) क्षेत्रीय सामाजिक मंचों का आयोजन किया गया।

इन क्षेत्रीय मंचों का मूल 'विश्व सामाजिक मंच' (वर्ल्ड सोशल फोरम - डब्ल्यूएसएफ) में है। वह दुनिया भर के सामाजिक आंदोलन के नेताओं व कर्मशीलों की एक बैठक है जो सामाजिक न्याय के लिए विचारों व रणनीतियों के विनिमय को बढ़ावा देती है। ‘विश्व सामाजिक मंच’ आंशिक रूप से ‘विश्व आर्थिक मंच’ (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम - डब्ल्यूईएफ) के विकल्प के रूप में स्थापित हुआ था और पहली बार ब्राजील में पोर्टो एलिग्री में उसकी बैठक २००१ में हुई थी।

‘विश्व सामाजिक मंच’ की बैठक लगातार तीसरी बार पोर्टो एलिग्री में होने के बाद २००४ में मुंबई में हुई थी। पोर्टो एलिग्री में वामपंथी माहौल मजबूत था और वहां के प्रगतिशील महापौर ने नवीनतम बजटीय नीतियों द्वारा उसे समर्थन दिया था। इसीलिए उसे मुंबई स्थानांतरित करना जोखिमकारक माना जाता था। कुछ लोगों को चिंता थी कि राजनीतिज्ञों द्वारा मंच में हस्तक्षेप किया जाएगा और भ्रष्टाचार भी होगा। सरकारों व बड़े गैर-सरकारी संगठनों के प्रभाव वाले अन्य कुछ आलोचकों ने ‘मुंबई प्रतिकार’ (मुंबई रेजिस्टेन्स) नामक एक समानांतर कार्यक्रम भी आयोजित किया था।

क्षेत्रीय मंच

केराकास में आयोजित ‘विश्व सामाजिक मंच’ के लिए सहभागियों में ऊँची अपेक्षाएँ थीं। वाम नेता ह्यूगो चावेज उनकी ‘बोलिवेरियन क्रांति’ के साथ आगे बढ़ रहे थे। वह उग्रतावादी पुनर्आवंटन और क्षेत्रीय एकता के लिए एक महत्वाकांक्षी नव-उदारवादी विरोधी आंदोलन है। चावेज १९९८ में वेनेजुएला में देश की तेल सम्पदा का उपयोग बढ़ती गरीबी के निवारण के लिए करने के वचन के साथ सत्ता में आए और उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने खासी प्रगति की है।

बोलीविया में ईवो मोरेल्स नामक आदिवासी नेता अध्यक्ष चुने गए। इस अवधि के दौरान लैटिन अमरीका में वाम आंदोलनों के नेताओं के पक्ष में चुनावी बयार चली। सख्त नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के दशकों बाद अंततः हवा विपरीत चलने लगी और कर्मशील, हिमायत समूह व विद्वान जनवरी में केराकास में एकत्र हुए। वे अमरीका महाद्वीप में जो ये परिवर्तन आ रहे थे उसके बारे में जीवंत चर्चा व विचार-विमर्श करने की अपेक्षा रखते थे।

केराकास में सामाजिक मंच में चावेज सरकार की मजबूत शिरकत थी। साम्राज्यवाद के विरोध में तथा नव-उदारवाद के खिलाफ संघर्ष की रणनीतियों के लिए तथा पूर्व की बैठकों में ऐसे ही विषय चर्चा में आए थे। उनके लिए अनेक समूह थे परंतु केराकास मंच का उस लोकप्रिय सामाजिक आंदोलन के नेताओं द्वारा व वेनेजुएला के संगठनों द्वारा ही विरोध किया गया था जो चावेज की ‘बोलीवेरियन क्रांति’ की नींव थे। अधिकृत सरकारी कार्यक्रमों व सभी पहलों को मंच के कार्यक्रम में जगह दी गई थी, परंतु गरीब ‘बेरीओज’के ला वेगा, सान ओगास्तिन, केरिकुओ, पेतारी जैसे छोटे व गरीब नगरों

के सामुदायिक संगठनों के अनुभवों का उसमें समावेश नहीं हुआ था। वेनेजुएला में सामुदायिक माध्यम एक महत्वपूर्ण व विकासशील आंदोलन बना है। उसकी चर्चा-सभाएँ प्रसारण सेवाओं की अधिकृत नियमनकारी संस्था 'नेशनल कमीशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स' (कोनाटेल) द्वारा आयोजित की गई थी।

'कोनाटेल' के सामुदायिक माध्यमों के कमर्शीलों से तनावपूर्ण सम्बंध हैं और इसीलिए उन चर्चा सभाओं का कर्मशीलों ने बहिष्कार किया था। वह एक विचित्र मामला था कि केराकास में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक बड़ी क्षेत्रीय परिषद् हो रही थी तब अनेक दशकों से गरीबों में सामाजिक न्याय के आंदोलनों से जुड़े कई स्थानीय कर्मशीलों ने उसमें भाग लिया था।

फिर, पूर्व के मंचों में टीकाओं व चर्चा के लिए काफी समय दिया गया था परंतु इस मंच का आयोजन मध्यम वर्ग के एक उप नगर में ऐसे कलाकारों व बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया था जिनका गरीबों के सामाजिक आंदोलनों के साथ कोई सम्बंध नहीं था। दक्षिण मैक्सिको में झापातिस्ता द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को इस मंच में कोई स्थान नहीं था और उन्हें मंच के किसी कोने में उनकी सभा का आयोजन करने या विज्ञापन करने को बाध्य किया गया था। ऐसा कई मामलों में हुआ था।

१९९४ में मैक्सिको में चायपास राज्य में स्थानीय कर्मशीलों के झापातिस्ता आंदोलन को गति मिली। 'उत्तर अमरीका मुक्त व्यापार समझौता' (नाफ्टा-नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऐग्रिमेंट) पर मैक्सिको की सरकार के हस्ताक्षर करने के बाद यह आंदोलन मजबूत हुआ था। कृषिक्षेत्र के सुधारों के खिलाफ सवाल उठाने व स्थानीय लोगों के अधिकारों के मुद्दों को केन्द्र में लाने में झापातिस्ता सफल रहे हैं।

केराकास मंच का अनुभव दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठेठ नीचे से आयोजन करने के प्रयासों में समस्याएँ पैदा होती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनिमय करने तथा एकता बनाने में भी मुश्किलें आती हैं। इसमें चावेज सरकार की मजबूत शिरकत ही समस्या नहीं थी, बल्कि 'विश्व सामाजिक मंच' के स्वरूप में भी समस्या थी। इसमें हिमायत व गैर-सरकारी संगठनों के तर्क कई बार सामाजिक आंदोलनों की अपनी मांग व जरूरतों के मुकाबले हावी हो जाते थे।

नए सवाल

इसके बावजूद, मंच में अन्य अवसर पैदा होने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रीय रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वरूप व भूमिका के बारे में सामाजिक आंदोलनों में नए सवाल खड़े हुए हैं। वेनेजुएला के सामाजिक माध्यमों के कर्मशीलों ने जो तंबू खड़ा किया था उसमें खासी जीवंत चर्चाएँ हुई थीं।

लैटिन व उत्तर अमरीका में संचार समस्याओं पर अनेक कार्यशालाएँ आयोजित हुईं। उत्तर अमरीका व दक्षिण अमरीका के कर्मशीलों के बीच तकनीकी विनिमय भी हुआ। आदिवासी समूहों के साथ मिल कर इन कर्मशीलों ने जूलिया राज्य में कोयले की खानों की खुदाई के विरोध में फोरम के एक दिन के दौरान कूच भी आयोजित की थी। 'कोओर्दिनादोरा सिमोन बोलीवर' नामक सामुदायिक संगठन के कर्मशीलों के एक अन्य समूह ने भी एक समानांतर सभा आयोजित की थी। इस अवसर पर तो कुछ लोग मध्यम वर्गीय उप नगरों के कुछ स्थानों के प्रसंग छोड़ कर आए थे। वे युनिवर्सिटी तथा बड़े सभाखंड छोड़ कर आए थे और राजनीतिक कार्य करने वाले छोटे-छोटे समूहों में मिल गए थे।

मंच में कुछ छोटे प्रसंग भी थे। वे अमरीका में सामाजिक आंदोलन करने में वास्तविक अंतरराष्ट्रीय विनिमय की झलक दिखाते थे। बोलीविया के लोगों ने जो एक चर्चा-सभा आयोजित की थी, जिसमें ईवो मोरेल्स पार्टी की भूमिका पर चर्चा हुई थी। 'समाजवाद के लिए आंदोलन (एमएएस)' के रूप में उसकी भूमिका पर चर्चा हुई और श्रोतागण में से एक व्यक्ति ने चुनाव के बाद के समय में पार्टी की भूमिका के बारे में सवाल पूछा। बोलीविया के लोगों ने नाराज होकर ऐसा प्रतिभाव दिया था कि एमएएस कोई पार्टी नहीं है, यह तो एक आंदोलन है, यह लोगों का आंदोलन है न कि सरकार का। इस घोषणा से उस खंड में वेनेजुएला के जो लोग थे

उन्हें काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें से कई लोगों को चाविस्ता पार्टीज को चावेज के पक्ष के रूप में देखने की आदत पड़ गई थी।

बोलीवियन लोग एमएएस के बारे में वास्तव में स्वामित्व भाव रखते थे। ऐसा स्वामित्व भाव वेनेजुएला के शेष अधिकांश सामाजिक कर्मशील चावेज के पक्ष के लिए नहीं रखते थे। चावेज को सामाजिक आंदोलनों व गरीबों का भारी समर्थन है, परंतु उनके पक्ष की बदनामी हो चुकी है। चर्चा-सभा के बाद की चर्चाओं में वेनेजुएला के कुछ लोगों ने एमएएस के बारे में अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की थी। वे लोगों के समर्थन वाले उस आंदोलन के अनुभव जानना चाहते थे।

मंच के छोर पर झापातिस्तों द्वारा तंबू में जो चर्चा-सभा रखी गई उसमें भी काफी दिलचस्प विचार-विनिमय हुआ था। जब औपचारिक प्रस्तुतिकरण पूरा हुआ तब वेनेजुएला के लोगों ने खड़े होने व राज्य की सत्ता के सवाल उठाने की जरूरत दर्शाना शुरू किया।

उन्होंने मांग की कि वेनेजुएला के लोगों ने जिस तरह राज्य की सत्ता कब्जे में की उसी प्रकार उन्हें भी सत्ता पर कब्जा करना चाहिए। झापातिस्ता कर्मशीलों ने बहुत सौजन्यपूर्वक जवाब दिया और कहा कि मैक्सिको व वेनेजुएला के इतिहास भिन्न हैं और झापातिस्ता की रणनीति स्वायत्त व आत्मनिर्भर समुदायों का निर्माण करके नीचे से सत्ता का सर्जन करने की है। उन्होंने कहा कि वे व्यापक राष्ट्रीय जोड़ किस तरह खड़े किए जाएं, यह वेनेजुएला के अनुभव से सीख सकते हैं परंतु मैक्सिको में बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासी प्रजा है। अतः कोई एक व्यक्ति सभी समूहों की तरफ से नहीं बोल सकता।

एक झापातिस्ता कर्मशील ने कहा कि वामपंथी मैक्सिकन महापौर मैन्युएल लोपेज ओब्रादोर आगामी चुनाव में जीत सकते हैं, परंतु वे भी तमाम आदिवासी समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। 'बोलीवेरियन क्रांति' की विचारधारा में कई बार राज्य की सत्ता को ऊपर से नीचे की दिशा में देखा जाता है। इसलिए झापातिस्ता कर्मशील नीचे से सत्ता खड़ी करने तथा सामाजिक आंदोलनों के निर्माण के बारे में वैकल्पिक मत प्रस्तुत करने में सहायक हो सकते थे। 'बोलीवेरियन क्रांति' के बारे में चावेज की बात अमरीकी महाद्वीप के देशों में राष्ट्रवादी शैली में मानी जाती है और समग्र महाद्वीप में चावेज व स्थानीय इतिहास को गंभीरतापूर्वक ध्यान में लेने की जरूरत परज़ोर दिया था और उनके कहने का अर्थ यह था कि महाद्वीपव्यापी जोड़ ठेठ नीचे से स्थापित होने चाहिए और वे राज्य की सत्ता से नहीं आने चाहिए।

उपसंहार

सामाजिक आंदोलनों को गति देने में ऐसे अंतरराष्ट्रीय विचार-विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अमरीका महाद्वीप के देशों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत वह अस्तित्व में आया है। जमीनी राजनीतिक सीख के अनुभवों का आदान-प्रदान ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन मुहैया कर सकते हैं जो राज्य की संस्थाओं में नौकरशाही सत्ता को मजबूत करने के इच्छुकों के खिलाफ नई वामपंथी सरकारों में सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं।

कदाचित 'विश्व सामाजिक मंच' बहुत ही सीमित अवसर देता है जिसमें ऐसा विचार-विनिमय हो सके, परंतु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय विचार-विनिमय एक संभावी वास्तविकता है। ला वेगा के एक महत्वपूर्ण सामुदायिक नेता फ्रेडी मेन्दोजा इसके लिए काम कर रहे हैं कि नवंबर-२००६ में प्रस्तावित चुनाव में चावेज पुनः निर्वाचित हों।

वे कहते हैं कि "हम ऐसे राज्य के साथ सह-अस्तित्व रखना चाहते हैं जो लोगों की सेवा करे, लोगों को आदेश न दे, एक बहुवादी राज्य चाहते हैं, सर्वसत्तावादी नहीं, समाज की सेवा के लिए राज्य चाहते हैं, पूंजी की सेवा के लिए नहीं, एक ऐसा राज्य चाहिए जो यह समझे कि वह स्वयं सभ्य समाज या लोगों के आत्मसंकल्प की आवाज नहीं बन सकता।"

स्रोतः इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,
अक्तुबर ८, २००५

लघु ऋण से आजीविका ऋण

श्री विजय महाजन इस लेख में कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लघु ऋण स्वयं ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। वास्तव में, लघु ऋण गरीबी निवारण के लिए भी शायद ही पर्याप्त साधन है। इस लेख में कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तो अधिक बड़े पैमाने पर संसाधन के आवंटन के साथ आजीविका ऋण के नए ढाँचे की जरूरत है। इस लेख का सारानुवाद 'पर्यावरणीय विकास' के श्री तुषारभाई पंचोली ने किया है।

प्रस्तावना

१९७६ में मोहम्मद युनुस ने ग्रामीण बैंक का गठन कर चित्तगोंग विश्वविद्यालय परिसर के निकटस्थ क्षेत्र में एक प्रयोग किया। इसमें लघु ऋण की नींव देखी जा सकती है। जिस प्रकार श्री एम. एस. स्वामीनाथन भारत की हरियाली क्रांति के पिता माने जाते हैं उसी प्रकार श्री युनूस भी लघु ऋण के जनक माने जाते हैं। दोनों प्रयोग द्वारा लाखों लोगों, खासकर ग्रामीण गरीब परिवारों को बड़ा लाभ हुआ है।

यद्यपि, लघु ऋण अभियान हरित क्रांति के एक या दो दशक बाद अस्तित्व में आने के कारण वह गरीबी व लिंग भेद जैसे मुद्दे पर अधिक संवेदनशील था। इसीलिए प्रक्रिया के केन्द्र में भले अति गरीब नहीं, परंतु गरीब व उसमें भी महिलाएँ थीं। लघु ऋण द्वारा भूमिहीन पर अधिक ध्यान देकर विश्वास अर्जित किया गया कि कृषि को छोड़कर अन्य व्यवसायों से भी वे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चालू वर्ष 'संयुक्त राष्ट्र संघ' द्वारा लघु ऋण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। लघु ऋण आज उस ऊँचाई पर पहुँच गया है कि उसे 'संयुक्त राष्ट्र संघ' द्वारा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में पिछले २० वर्षों से इस क्षेत्र में काम करने वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ है। इसकी शुरूआत १९९७ के फरवरी में वॉशिंग्टन डीसी में आयोजित लघु ऋण शिखर परिषद् द्वारा हुई।

इस आयोजन का उद्देश्य २००५ तक दुनिया के अति गरीब १० करोड़ परिवारों, खासकर महिलाओं तक स्व-रोजगार तथा अन्य वित्तीय व व्यवसायिक सेवाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए विश्व स्तरीय अभियान शुरू करना था।

१९९७ की लघु ऋण शिखर बैठक

१९९७ की शिखर बैठक में महानुभावों की उपस्थिति दर्शाती थी कि लघु ऋण को व्यापक समर्थन मिल रहा था। जैसा हिलेरी क्लिंटन के भाषण से स्पष्ट हो रहा था कि वे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने विकासशील देशों की अनेक लघु ऋण संस्थाओं की मुलाकात भी की थी। यद्यपि, कुछ लोगों के लिए तो यह चलती गाड़ी में चढ़ने जैसा था और शायद ही किसी ने लघु ऋण की मर्यादाओं के बारे में सवाल किए। इस बैठक में हाजिरी देने के बाद मैंने 'शुं लघु धिराण गरीबी निवारणनो उत्तर बनी शकशे? (क्या लघु ऋण गरीबी निवारण का उत्तर बन सकेगा ?)' नामक लेख लिखा था। मेरा जवाब स्पष्ट रूप से 'नहीं' था।

इस शिखर परिषद् के बाद पूरे विश्व में लघु ऋण एक फैशन बन गया और मानो वह दुनिया की गरीबी हटाने के लिए जादुई छड़ी हो, उस प्रकार उसके नाम पर अनेक दावे होने लगे। इसके प्रत्युत्तर में 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' से लेकर जोनाथन मोर्डक नामक अध्ययनी शोधकर्ता ने इन दावों को चुनौती दी और दर्शाया कि लक्षित परिवारों पर लघु ऋण के जो प्रभाव दर्शाए गए हैं वे अत्यधिक हैं। सवाल यह है कि क्या लघु ऋण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है ? चलो, हम आर्थिक विकास व लघु ऋण के बीच सम्बंध को समझने का प्रयास करें। मैंने इस क्षेत्र में २० वर्ष बिताए थे। उसके दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहा हूँ, परंतु लघु ऋण तथा आर्थिक विकास की बात पर आने से पहले १९९७ में मैं जिसे लघु ऋण की

रणनीति बनाने की मर्यादाएँ कहता था उसके बारे में समझें।

लघु ऋण की मर्यादाएँ - पाँच गलत धारणाएँ

१. लघु ऋण गरीबों के लिए जरूरी मुख्य आर्थिक सेवा है :

गरीब स्वयं ऋण उधार लें, इसकी बजाए वे स्वयं बचत करना चाहते हैं और इसकी जरूरत भी समझते हैं। वे जोखिम के विरुद्ध बीमा सुरक्षा भी चाहते हैं। यद्यपि, सामान्यतः बचत और बीमा जैसी आर्थिक सेवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। बचत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बचत छोटी या अचानक आन पड़ने वाली मुश्किलों के लिए स्वबीमा (रक्षा) का कार्य करती है। जैसे परिवार में बीमारी के समय धन की जरूरत, ऋण प्राप्ति का आधार, लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए में बचत उपयोगी होती है। भारत में 'सेवा बैंक' का अनुभव बताता है कि महिलाएँ अपनी बचत सुरक्षित जगह रखना चाहती हैं।

उनके रोजगार व असुरक्षा को ध्यान में लेते हुए बीमा गरीबों के लिए जरूरी और एक आर्थिक सेवा है। यहाँ हम केवल जीवन बीमा की बात नहीं कर रहे, बल्कि फसल बीमा तथा आय के संसाधनों जैसे पशुओं व सिंचाई पम्प आदि सभी का समावेश होता है। कुछ कामगार समूहों जैसे समुद्री मछुआरों, खान मजदूरों आदि के लिए जीवन बीमा महत्वपूर्ण है।

गरीब परिवारों में अधिकांश परिवारों के एक या दो सदस्य रोजगार की तलाश में वर्ष की कुछ समयावधि या कई वर्ष पूरे परिवार के साथ स्थानांतरण करते हैं। इस अवधि के दौरान काम के स्थल से आय को परिवार को भेजना भी एक बड़ी जरूरत है। इस प्रकार, केवल लघु ऋण पर ही ध्यान केन्द्रित करके लघु बचत, बीमा तथा कमाई को परिवार को भेजने की व्यवस्था की अवगणना करना संकीर्ण दृष्टि ही कहलाएगी।

२. लघु ऋण स्वतः ही सफल व्यवसाय में परिवर्तित हो जाएगा :

यहाँ दो विचारधाराओं के द्वंद्व स्पष्ट उभर कर आते हैं। एक जिसमें मात्र लघु ऋण देने की रणनीति में मानने वाले और दूसरा यह कि लघु उद्योग को समन्वित दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने वाले। इन दोनों विचारधाराओं के बीच चलने वाले विवाद में कुछ का मानना है कि लघु उद्योग के लिए कोई एक सही पद्धति नहीं है। लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए परिस्थिति का विश्लेषण और मांग के अनुसार आयोजन बहुत ही जरूरी है।

लघु ऋण लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अन्य कई सहारों की भी जरूरत है जैसे इसके लिए रोजगार के अवसरों की पहचान करना। लघु उद्यिमयों को पहचानना और उन्हें तैयार करना, उद्योग व तकनीकी प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की खरीद तथा उत्पादन की बिक्री के लिए बाजार के साथ जोड़ना, सामूहिक ढाँचागत सुविधा उपलब्ध करना, प्रस्ताव चयन के लिए नियम बनाना आदि भी जरूरी हैं।

इन सबकी अनुपस्थिति में लघु ऋण कुछ निश्चित प्रवृत्तियों की मदद कर सकता है - जैसे लघु कृषि, पशुपालन व खरीद-फरोख्त और जहाँ बाजार के साथ संपर्क अस्तित्व में है। लघु ऋण की शिखर बैठक में घोषणा के अंतिम दस्तावेज में खानापूरी के लिए इस धारणा का उल्लेख किया गया था और ऋण शब्द के साथ "अन्य आर्थिक व व्यवसायिक सहायता" शब्द भी शामिल किए गए थे।

३. प्रत्येक अति गरीब को स्वरोजगार करने की इच्छा होती है और उन्हें लघु ऋण द्वारा मदद दी जा सकती है :

लघु ऋण को गरीबी निवारण की रणनीति मानने वालों में से अधिकांश मानते हैं कि गरीबों को स्वरोजगार करना पसंद है। यह बात सही है कि कुछ गरीब छोटी खेती, पशुपालन, प्रसंस्करण, उत्पादन या व्यापार करते हैं, परंतु सामान्यतः वह उसे अपनी मजदूरी से होने वाली आय के साथ पूरक आय मानता है। अधिकांश गरीब-खासकर अति गरीब (जैसे कि भूमिहीन मजदूर) - चाहते हैं कि उन्हें खेती या अन्य गैर-कृषि व्यवसाय से नियमित रोजी मिलती रहे।

इसके अलावा, ऐसे कई उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि अन्य प्रक्रिया की तरह लघु ऋण भी गरीबों के लिए कम उपयोगी होता है। डेविड

हल्म तथा पॉल मोज़ली अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि लघु ऋण से आय में हुई वृद्धि किस व्यवसाय से और कितनी पूंजी से हुई इस पर आधार रखती है और उसका ऋण लेने वाले की आय के स्तर के साथ सीधा सम्बंध है।

व्यवसाय शुरू करने वाला जितना गरीब होता है उतना लोन का प्रभाव कम होता है। दुनिया की विषमता के साथ हम जी सकते हैं परंतु सबसे चौंकाने वाली बात और निष्कर्ष दर्शाता है कि लघु ऋण प्राप्त करने के बाद अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। जरूरत है लघु ऋण को गरीबी के निवारण के हल के रूप में मानने वालों को रोके जाने की, क्योंकि ऐसा करने से इस तरह लघु ऋण देने से गरीबों का उद्धार होने की बजाए उन्हें नुकसान होता है।

४. जो गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर हों उन्हें लघु ऋण की जरूरत नहीं पड़ती और वे लक्षित समूह नहीं हैं। अतः उन्हें लघु ऋण देना बेकार है :

ग्रामीण बैंक जैसे लघु ऋण के कार्यक्रम तथा उनके बाद के अन्य कार्यक्रमों के अधिकांश सहभागी गरीब व उसमें भी भूमिहीन महिलाएँ हैं, परंतु भारत के स्वयं सहायता समूह और बैंक संपर्क व अन्य कई लघु ऋण कार्यक्रमों में ऐसा नहीं है। अधिकांश लघु ऋण कार्यक्रम गरीबों में भी ऊँचे स्तर तक पहुँचते हैं और कुछ गरीबी रेखा से ऊपर वालों को पहुँचते हैं। परंतु लघु ऋण कार्यक्रम की बचत अति गरीब नहीं तो भी गरीब तक पहुँचनी ही थी। इसीलिए इस हकीकत को मान्यता नहीं मिलती। फिर भी गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर हों, ऐसे गरीब परिवारों के लिए उनके व्यवसाय से रोजी मिलना संभव होने के बावजूद उन्हें ऋण देना योग्य नहीं माना जाता। यदि ऐसे परिवारों को ऋण दिया जाए तो लघु ऋण देने की व्यवस्था से बहुत लोगों तक पहुँच बढ़े और इससे उस पर होना वाला खर्च कम हो सकेगा। इस तरह गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर के परिवारों को ऋण देना बेकार है, यह गलत मान्यता है।

५. सभी संस्थाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं :

हम आर्थिक टिकाऊपन के प्रयासों को स्वाभाविक रूप से ही समर्थन दें तो भी यह सभी लघु ऋण संस्थाओं के लिए संभव होगा या नहीं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। श्रेष्ठ उदाहरणों को भी यह प्राप्त करने में काफी समय लगा था। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण बैंक। बंगलादेश को आत्मनिर्भर बनने में २० वर्ष लगे। अथवा प्रोडेम जो पहले बान्कोसाल था वह भी अपने स्वैच्छिक संस्था के रूप में अवतार (इससे पहले उन्हें भी कई शुरूआती सब्सिडी की जरूरत पड़ी थी) को बदलने के बाद आत्मनिर्भरता हासिल कर सका।

भारत का स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम बाह्य सहयोग से आगे बढ़ सका है। इसमें एक बार समूह बनाने व उसकी सहायता करने का खर्च शामिल होता है, परंतु उसमें भी स्वयं सहायता समूह को प्राप्त ऋण पर ब्याज की दर घटाने के राजनीतिक दबाव के कारण अधिकांश कार्यक्रमों में इसके लिए अन्य खर्च नहीं घटा है।

हाल ही में सीजीएपी द्वारा किया गया अध्ययन दर्शाता है कि पूरे विश्व की करीब १० हजार लघु ऋण संस्थाओं में सौ संस्थाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकी हैं। इस तरह लघु ऋण अति गरीब के लिए मददगार होगा तथा आर्थिक रूप से टिकाऊ होगा, ऐसे दोहरे वचन वास्तव में संभव नहीं हैं। अनुभव कहता है कि इन एक-दूसरे से विपरीत उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य ही साकार हो सकता है, दोनों उद्देश्य एक साथ सिद्ध नहीं हो सकते।

लघु ऋण पर्याप्त होने की मान्यता की आशंकाएँ

भारत ने पिछले दशक में लघु ऋण की प्रवृत्ति में बड़ा विकास किया है। 'मायाराडा', 'प्रदान', 'धान' जैसी संस्थाओं के कामकाज के आधार पर नाबार्ड बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक कनेक्शन कार्यक्रम को विश्व का सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत लगभग २.५ करोड़ गरीब महिलाओं ने कुल ६८०० करोड़ रुपए का ऋण बैंकों से प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए नाबार्ड बैंक तथा लघु ऋण की संस्थाएँ गौरव ले सकती हैं।

परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह ऋण औसतन २००० रुपए ही होता है। गरीबी को घटाने के लिए भी यह पर्याप्त नहीं

है। तो फिर गरीबी को दूर करने की बात ही नहीं हो सकती। कई गरीब राज्यों में तो स्वयं सहायता समूहों को बैंकों में खाते खोलने के भी लाले पड़ते हैं, वहाँ ऋण की तो बात ही क्या करें। और अन्य राज्यों कि जहाँ बड़े पैमाने पर ऋण दिया जाता है वहाँ राजनीतिक दल इस नए वोट बैंक का लाभ लेने के लिए ऋण के ब्याज तथा उसके ढाँचे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ी आशंका यह है कि लघु ऋण का मुख्य उद्देश्य ही मारा जाएगा और बैंक भी अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काटेंगे।

दूसरी बड़ी आशंका यह है कि लघु ऋण को अधिक महत्व देने से सरकार गरीबी निवारण के अन्य कार्यक्रमों को धन आवंटन कम कर देगी और अधिक सरल प्राथमिक स्वास्थ्य व प्राथमिक शिक्षा के कामों पर से ध्यान हटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन कार्यक्रमों को अभी भी अधिक प्रभावी व कम खर्चीला बनाने की जरूरत है, परंतु उसकी जगह लघु ऋण के कार्यक्रम बनाने का कदम तो गरीबों के लिए दोहरी आफत लाएगा।

इस तरह, यहाँ गरीबी निवारण व सामाजिक कार्यक्रमों के कोष में कमी होने की आशंका है। ६८०० करोड़ रुपए का ऋण स्वयं सहायता समूहों को देने का दावा कर सरकार और राजनीतिज्ञ हमारा ध्यान पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त धन आवंटित नहीं किए जाने की बात से हटाते हैं। हमें ग्यारहवें वित्त आयोग को बधाई देनी चाहिए कि उसने इस बारे में ध्यान खींचा और उसके लिए अधिक संसाधन आवंटित किए गए।

लघु ऋण को गरीबी निवारण तथा आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लघु ऋण के प्रभावों के बारे में 'बेजिक्स' नामक एक स्वैच्छिक संस्था में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि इस कार्यक्रम के तीन वर्ष के लाभार्थियों में ५२ प्रतिशत की आय वृद्धि दर्ज हुई, जबकि २३ प्रतिशत की आय में कोई फर्क नहीं पड़ा और २५ प्रतिशत की आय में कमी दर्ज की गई। इसके क्या कारण थे? उनके निष्कर्ष थे कि

(१) जोखिम के खिलाफ आयोजन नहीं था।

(२) खेती व पशुपालन में कम उत्पादन और

(३) बाजार में खरीद-फरोख्त में अच्छा भाव प्राप्त करने में विफलता।

इस अध्ययन के आधार पर 'बेजिक्स' द्वारा अपनी रणनीति में परिवर्तन किया गया और लघु ऋण के साथ-साथ जीवन, स्वास्थ्य, फसल एवं पशु से सम्बंधित बीमा सुरक्षा भी दी गई। अधिक उत्पादन के लिए खेती व धंधे के विकास के लिए लाभार्थियों को अनेक सेवाएँ दी गईं। अच्छे भाव दिलाने के लिए खरीद-फरोख्त के बाजार में वैकल्पिक संपर्क विकसित किए गए। अधिकांश उत्पादकों को मंडली या समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा इसके लिए संस्थागत विकास के लिए सहयोग दिया गया है, जिससे वे अधिक प्रभावी बन सकें।

जब लघु ऋण रोजगार के मुद्दे को केवल छूता ही है तब हमारे लिए लघु ऋण के मॉडल को अधिक विशाल अर्थ में देखकर उसे रोजगार के लिए ऋण की दृष्टि से देखने की जरूरत है। पहले मैं इसकी व्याख्या करूँगा। रोजगार की आर्थिक व्यवस्था गरीबों को टिकाऊ रोजगार देने का एक विशाल दृष्टिकोण है।

१. आर्थिक सहयोग :

(क) बचत।

(ख) खेती, पशुपालन, पानी, पेड़, ऊर्जा और लघु व लम्बी अवधि का ऋण।

(ग) गरीबों के जीवन तथा रोजगार के लिए बीमा कि जिसमें स्वास्थ्य, फसल व पशुपालन शामिल है।

(घ) आवश्यकतानुसार ढांचागत सुविधाएँ जैसे कि सड़कें, बिजली, बाजार की जगह और टेलीफोन तथा

(ङ) मानव विकास कि जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन जैसी आजीविकालक्ष्यी तालीम शामिल है।

२. खेती व व्यावसायिक विकास की सेवाएँ :

(क) उत्पादन में वृद्धि।

(ख) बीमा को छोड़ अन्य पद्धतियों द्वारा जोखिमों में कमी। जैसे पशु का टीकाकरण करना।

(ग) स्थानीय रूप से गुणवत्ता में वृद्धि।

(घ) बाजार के साथ वैकल्पिक कनेक्शन।

३. संस्थागत विकास की सेवाएँ :

(अ) स्वयं सहायता समूहों, पानी उपभोक्ता संघ, जंगल संरक्षण समितियों, ऋण संघों, पंचायतों आदि का गठन करना तथा उन्हें सक्षम बनाना।

(ब) हिसाब रखना, कामकाज का निरीक्षण, प्रोत्साहन, सूचना प्राप्ति के लिए पद्धतियाँ विकसित करना।

उपरोक्त संदर्भ में गरीबी निवारण व रोजगार को प्रोत्साहन देने में लघु ऋण विशेष प्रभावी नहीं दिखता। लघु ऋण की व्याख्या देखें तो उसमें एक ही संदर्भ है कि जिसमें लघु ऋण कम समय के लिए दिया जाए और ऋण की रकम जल्द से जल्द वापस ली जाए।

इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों द्वारा दिया जाए या ग्रामीण बैंक की पद्धति से दिया जाए या सामूहिक जिम्मेदारी वाले समूहों द्वारा दिया जाए या व्यक्तिगत रूप से दिया जाए, तो भी लघु ऋण अंततः तो एक व्यक्तिगत ऋण ही है। उसके सामने रोज़गार के लिए ऋण देने में अधिक बड़ा कोष चाहिए। वह केवल ऋण के मुकाबले तो अधिक ही होगा तथा विशेषकर वह लम्बे समय के लिए, कम से कम ५ वर्ष तथा कदाचित २० वर्ष के लिए भी हो सकता है और वह हमेशा सामूहिक उपयोग के लिए होगा। इस तरह, लघु ऋण और रोजगार ऋण दोनों में बुनियादी फर्क है।

एक उदाहरण

इस फर्क को समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिजडाडी तहसील के रोजकुंड गांव का एक उदाहरण लेना होगा। यह क्षेत्र समग्र देश में कान्हा बाघ अभयारण्य के लिए विख्यात है। गाँव पक्के रास्ते से १६ कि. मी. भीतर स्थित है। इस जिले में घने जंगल थे जो अब आवासीय क्षेत्रों के कारण कम हो गए हैं। वर्षा भी करीब ५० इंच होती है। जमीन भी अच्छी है। यहाँ मुख्य गोड जाति के आदिवासियों की आबादी है जो सदियों से जंगलों पर निर्भर रही है।

अनोखेलाल गोड इस गाँव के निवासी हैं जिनके पास ३ एकड़ कृषि भूमि है और अन्य २ एकड़ भूमि टेकरी के ढलान पर है। उसके पास २० पशु हैं, इनमें १ भैंस, २ गाय, एक जोड़ी बैल तथा एक दर्जन बकरियाँ हैं। वे विवाहित हैं। उनके ३ बच्चे हैं और उनकी माँ उनके साथ रहती है। अनोखेलाल को अपनी जमीन से विशेष आय नहीं होती है। इसीलिए वह अपने गाँव से १०० कि. मी. दूर जबलपुर मजदूरी करने के लिए जाता है।

यहाँ वह हर वर्ष छह माह रहता है। उसकी पत्नी भी साथ जाती है, परंतु वह हर पंद्रह दिन में गाँव जाती है और बच्चों तथा पशुओं का रखरखाव करती है। यह सब जोड़ें तो अनोखेलाल की वार्षिक आय १५,००० रुपए के करीब होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनोखेलाल और उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है।

पहली नजर में तो अनोखेलाल लघु ऋण देने के लिए योग्य व्यक्ति माना जा सकता है, परंतु मेरा मानना है कि लघु ऋण से उसे विशेष लाभ होगा नहीं और फिर भी अनुभव करना हो तो हम उसकी स्वयं सहायता समूह की सदस्य पत्नी को ऋण दिला कर देखें। वह डेढ़ वर्ष बाद बैंक ऋण पाने के योग्य बनती है, तब प्रतिमाह २० रुपए के हिसाब से उसकी बचत ३६० रुपए होगी और उसके सामने उसे बैंक से १,००० से १,५०० रुपए का ऋण मिलेगा। इस ऋण से अनोखेलाल और उसकी पत्नी क्या करेंगे?

- वे अपनी जमीन ठीक करेंगे? ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके लिए उन्हें ३,००० से ४,००० रुपए चाहिए।
- वे पानी के लिए कुआँ खोदेंगे। कुआँ खोदने के लिए २० हजार रुपए चाहिए और फिर यदि सूख गया हो तो वॉटरशेड के काम भी करने पड़ेंगे।
- निकटस्थ नाले से पानी खींचने के लिए डीजल पम्प या पाइप नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उसमें १५,००० रुपए लगेंगे और नाला भी सूख गया हो तो फिर वॉटरशेड के काम करने पड़ेंगे।
- वे भैंस नहीं खरीद सकते क्योंकि इसके लिए ९००० रुपए चाहिए और वह भी यदि अबीमित हो तो जोखिम रहते हैं। एक बार भैंस लेने के बाद उसे चारा, दाना, दवा चाहिए और उसका दूध बेचना भी जरूरी होता है।

- टेकरी के ढलान वाली जमीन पर पेड़ नहीं लगा सकते, इसके लिए ५,००० रुपए लगेंगे और इन पेड़ों को हर वर्ष रखरखाव पर खर्च अलग होगा।
- वे अपने गाँव तक सड़क या अपने खेत तक बिजली भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका प्रति व्यक्ति खर्च १,५०० से ३,००० रुपए होता है।
- वे अपनी बड़ी पुत्री को शिक्षक नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी पढ़ाई पर १२ हजार रुपए खर्च होंगे।

उपरोक्त तमाम कार्यों से विश्व बैंक तथा नाबार्ड के अध्ययन में दर्शाए अनुसार २५ से ३० प्रतिशत सकारात्मक आय की संभावनाएँ हैं, परंतु इन सबके लिए लम्बी अवधि के बड़ी रकम के तथा कुछ वर्ष तक धन नहीं लौटाने की शर्त के आधार पर ऋण की जरूरत पड़ेगी। धन का भुगतान लम्बे समय में ही हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वह अनेक अनिश्चितताओं से भरपूर भी है, क्योंकि कार्यक्रम में कुछ बातें ऐसी हैं, जो ऋण लेने वाले के नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये वास्तविकताएँ वित्तीय संस्थाओं को अनोखेलाल से दूर रखती हैं।

फिर भी यदि नसीब से कोई वित्तीय संस्था अनोखेलाल को उपरोक्त तमाम कार्यों के लिए ऋण देने तैयार हो तो भी वह अकेला उसका विशेष उपयोग नहीं कर सकेगा क्योंकि उपरोक्त अधिकांश प्रवृत्तियाँ सामूहिक प्रयासों पर आधारित हैं। यदि वह अपने खेत में कुआँ खोद ले तो भी उसके कुएँ में जहाँ से पानी आता है उन टेकरियों व झरनों में पानी नहीं होने पर जल स्तर नीचे जाएगा और कुछ वर्षों में कुआँ सूख जाएगा।

कुएँ में यदि पानी हो तो भी उसे आय प्राप्त करने के लिए सब्जी या उसके जैसी नकदी फसल लगानी पड़ेगी, परंतु वह बेचेगा कहाँ? वह तो पक्के रास्ते से १६ कि.मी. दूर रहता है और पम्प चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीजल से पम्प चलाना महंगा पड़ता है। इस तरह, यदि गांव में उत्पादन बढ़ाना हो, तो केवल अनोखेलाल नहीं, बल्कि गांव के अधिकांश किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरत है कि उन्हें विविध प्रकार के समूहों में शामिल किया जाए - जैसे स्वयं सहायता समूह, वॉटरशेड समूह, जंगल संरक्षण समिति आदि।

इस तरह वास्तव में तो १,५०० रुपए का लघु ऋण उन्हीं परिस्थितियों में उपयोगी होगा जब कोई और ऋण न मिलता हो। फिर, जब अनोखेलाल और उसकी पत्नी काम करने के लिए जबलपुर भी नहीं जा पाएँ तो उन परिस्थितियों में यह लघु ऋण पक्का उपयोगी बनता है।

अनोखेलाल को लघु ऋण की नहीं, बल्कि रोजगार के लिए धन की जरूरत है। अतः रोजगार ऋण संस्था की शुरूआत लघु ऋण देने के लिए नहीं, बल्कि बचत की शुरूआत करने और एकता की अनुभूति कराने के लिए करनी पड़ेगी। साथ ही साथ गांव में किसान मंडल, वॉटरशेड समिति, जंगल संरक्षण समिति, सहकारी डेयरी आदि बनाई जाएगी और उन्हें सक्षम बनाया जाएगा। कुछ वर्ष में ऊपर के तमाम कार्यक्रमों में निवेश किया जाएगा जिसमें केवल अनोखेलाल के परिवार को ही एक लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा।

यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रोजगार के लिए धन केवल वित्तीय मामला नहीं है, बल्कि जमीन सुधार, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, जल संचय समिति, जंगल संरक्षण समिति और पंचायत जैसे स्थानीय निकायों की भी जरूरत पड़ती है। सब्जी या दूध जबलपुर या मंडल में बेचने के लिए अनोखेलाल को अन्य किसानों के साथ मिलना होगा। हम जानते हैं कि यह स्वतः नहीं होने वाला, बल्कि बाहर से प्रोत्साहन और शुरूआती तालीम जरूरी होगी और एक बार यह होने के बाद उसे लम्बे समय तक बनाए रखने के लिए लगातार समर्थन व संस्थागत विकास की जरूरत पड़ेगी। इस प्रवृत्ति में धन की जरूरत पड़ती है। इस काम के लिए ऊपर जो एक लाख रुपए के निवेश की बात कही गई है, उसका करीब २५ प्रतिशत जरूरत पड़ती है।

कुछ वर्षों बाद जब इस कार्यक्रम में मुनाफा होने लगेगा तब अनोखेलाल को ब्याज व पूंजी की रकम के हफ्ते भरने के बाद

वार्षिक २५,००० से ३०,००० रुपए की आय होगी। इस तरह वह अपनी वार्षिक आय में ५०-६० प्रतिशत शुद्ध वृद्धि कर सकेगा। वह अपने रोजगार के पर्याय भी बढ़ा सकेगा। खेती में नुकसान कम कर सकेगा और अपनी पत्नी व माँ के लिए पर्याप्त काम गाँव में ही उपलब्ध करा सकेगा। इस तरह उन्हें गाँव छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में ऐसे निवेश से गांव के भूमिहीन लोगों को अतिरिक्त ६० से १२० दिन की मजदूरी मिलेगी। जमीन, जल संरक्षण होगा तथा वन क्षेत्र बढ़ेगा। अनोखेलाल की पुत्री आगे पढ़ सकेगी और शिक्षिका बन सकेगी और उसकी आय से अन्य बच्चे भी आगे पढ़ सकेंगे।

लघु ऋण से आजीविका ऋण की ओर

इस तरह हमेशा के लिए गरीबी से बाहर आने के लिए अनोखेलाल तथा उसके जैसे देश के ४ करोड़ परिवारों को १ लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और इसका २५ प्रतिशत संस्थागत विकास के लिए। इस तरह कुल ५ लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह एक बड़ी रकम लगती है। यह भारत के कुल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का २५ प्रतिशत है, परंतु भारत की गरीबी दूर करने व मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए क्या यह रकम बड़ी कही जा सकती है ?

भारत यदि हर वर्ष कुल घरेलू उत्पादन का २.५ प्रतिशत निवेश इस कार्य पर करे तो दस वर्ष में समग्र देश की गरीबी दूर की जा सकती है। आज उसकी शुरूआत करें तो २०१५ तक यह काम पूरा कर सकेंगे और यदि स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े राजमार्गों के काम के लिए एक लाख करोड़ रुपए हों तथा देश की नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम का खर्च ५ लाख करोड़ रुपए हो तो रोजगार के धन का यह कार्यक्रम कोई अधिक खर्चीला नहीं कहा जा सकता।

इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि केवल लघु ऋण से ही आर्थिक विकास हो सकता है। वास्तव में तो लघु ऋण आर्थिक विकास तो दूर, गरीबी कम करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आर्थिक विकास के लिए हमें रोजगार के धन की विचारधारा की जरूरत है जिसमें बड़े पैमाने पर संसाधन लगाने पड़ेंगे।

पृष्ठ 8 का शेष भाग

प्राप्त हैं। जब तक इस प्रकार के अवसर उन्हें नहीं मिलेंगे तब तक उनमें असंतोष रहता है और यह असंतोष कभी-कभी प्रत्यक्ष हिंसा में बदलता है।

जो गैर-सरकारी संगठन, समुदाय-आधारित संगठन तथा स्वैच्छिक या लोक संगठन विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने समता लाने के लिए हस्तक्षेप करना तय किया है। इसीलिए वे विविध प्रकार की सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रवृत्तियाँ करते हैं। योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संदर्भ में इन संगठनों को हस्तक्षेप करना पड़ता है जिससे समता स्थापित हो। बच्चों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों व अन्य वंचित समूहों के लिए समाज में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव के बगैर समान अवसर पैदा हो, इस प्रकार की रणनीति इन संगठनों को अपनानी पड़ती है।

इस प्रकार मात्र आर्थिक क्षमता बढ़ना ही समता के लिए काफी नहीं है। संगठनों को स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रख कर असुरक्षा व असमानता और भेदभाव दूर करने वाले कार्यक्रमों को लागू करवाने की रणनीति बनानी पड़ेगी और राज्य को इसके लिए सहमत करना पड़ेगा। वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रियाओं में राज्य ने बाजार पर अधिक आधार रखना शुरू किया है। इस कारण कई बार राज्य स्वयं समता के बारे में कदाचित चिंता करता है, परंतु ऐसा लगता है कि समानता के बारे में कम चिंता करता है। राज्य यदि कल्याणकारी राज्य हो तो कल्याण के समानतालक्ष्यी पहलू के बारे में उसे अधिक जागरूक होने की जरूरत है, यह समझना चाहिए क्योंकि असमानता हमेशा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव पैदा करती है, जो भविष्य में अशांति की तरफ ले जाती है।

संदर्भ

(1) 'Equality and Inequality: Theory and Practice', Ed. by Andre Beteille, Oxford University Press-1983.
(2) 'Inequality Among Men', - Andre Beteille, Basil Blackwell-1977.
(3) 'The Ineuality Predicament', United Nations Publlication, Academic Foundation-2005.
(4) 'Equity and Development', World Development Report-2006, World Bank.

नगर आयोजन में लोक भागीदारी - भचाऊ का अनुभव

२००१ में गुजरात में आए भूकम्प के बाद 'उन्नति' द्वारा कच्छ में भचाऊ नगर में पुनर्वास का काम किया गया था। लोक भागीदारी से पुनर्वास कराने के प्रयासों के दौरान हुए अनुभव 'उन्नति' के कार्यक्रम प्रबंधक **श्री भानुप्रसाद मिस्त्री** द्वारा यहां आलेखित किए गए हैं। पुनर्वास की पेचीदा प्रक्रिया को समझने और नई दिशाएँ खोलने में ये अनुभव उपयोगी हो सकते हैं।

प्रस्तावना

गांव-नगर या फिर शहर के विकास के लिए नागरिकों या नगरजनों के सक्रिय बन कर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। स्व-शासन के परिप्रेक्ष्य में यह बात महत्वपूर्ण है। हम यह न भूलें कि लोगों ने ही गांवों व नगरों को अपनी विशिष्ट सूझबूझ व जरूरत के मुताबिक बनाया है। इसमें उनके रहन-सहन, संस्कृति व आर्थिक तथा सामाजिक जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा गया था।

अब सक्रियता का माहौल क्यों बदला? कहाँ है सूझबूझ? कहाँ है उसका आदर करने वाली शासन व्यवस्था? विकास योजना में लोक भागीदारी में हमारी मौजूदा रणनीति क्या है? नागरिकों की इच्छा, अनुभव और अधिकारों के साथ योजना बनाने वाले अधिकारी या विशेषज्ञों के बीच तालमेल है? और हो, तो उसका ढाँचा कैसा है? इसमें सरकार, शासन, सभ्य समाज या अन्य संगठनों की भूमिका क्या है? सभी प्रभावी कैसे बन सकते हैं? जवाब है : सभ्य समाज की भूमिका को पुनः उजागर करना पड़ेगा, परंतु कैसे? २००१ के गुजरात के कच्छ के विनाशक भूकम्प के बाद बड़े पैमाने पर गांवों तथा शहरों का पुनर्वास हुआ। उस असामान्य स्थिति के संदर्भ में पुनर्वास के प्रति लोगों का जुड़ाव पैदा करने की बड़ी चुनौती सभी के समक्ष थी।

कच्छ में ३५ हजार की आबादी वाले छोटे नगर भचाऊ के पुनर्वास में लोगों की भागीदारी तथा सभ्य समाज की भूमिका से उत्पन्न परिस्थिति, समस्याओं, परिणामों और 'उन्नति' के अनुभव की बात यहाँ करनी है। ये अनुभव प्रत्यक्ष काम से प्राप्त हुए हैं।

पुनर्निर्माण और योजनाएँ

राहत और पुनर्वास की पैकेज योजना के अंतर्गत गांवों तथा नगरों की अलग योजनाएँ तैयार हुईं। चारों नगरों के पुनर्निर्माण के लिए विकास योजना (डेवलपमेंट प्लान) तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की व्यावसायिक मदद ली गई। दो से तीन माह की अवधि में ही योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। सवाल यह है कि जिन नगरों को इस मुकाम तक पहुंचने में १५० से २०० वर्ष लगे हों उनके पुनर्निर्माण का निर्णय मात्र ७५ दिन में ही करना था? यह कैसे संभव हो सकता है ? एक तरफ पूरा नगर ९७ प्रतिशत नष्ट हुआ, लोग अभी संभले भी नहीं, वहीं पुनः नगर नियोजन प्रक्रिया में जुतना ? सामान्य लोगों को लगता कि नगर नियोजन यानी और कुछ नहीं, बल्कि सड़के कुछ चौड़ी होंगी, बाजार का सँकरापन कम होगा, कुछ दुकानें कटेंगी, और तो क्या होगा ? नगर नियोजन को लेकर लोगों के विचार सीमित ही थे।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तमाम नगरजनों के लिए पुनर्वास में एक साथ शामिल होने का यह पहला अनुभव था। फिर वह इस शहर का अमीर हो या श्रमिक। इन दोनों का नगर विकास का ख्याल, अनुभव तथा हित भी अलग था। इसके बावजूद सभी के बीच समान समझ पैदा कर भागीदारी के लिए सहायभूत होना कोई छोटी चुनौती नहीं थी। कुछ समझें, इससे पहले तो विषय विशेषज्ञ संस्था ने सूचना एकत्र करने से काम की शुरूआत की और कच्चा प्लान तैयार किया। भचाऊ में 'उन्नति' द्वारा 'पुनर्वास सहयोग केन्द्र' के नाम से एक क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया गया। भचाऊ नगर व आसपास के चयनित गांवों में सामाजिक देखरेख कार्यक्रम के तहत लोग साथ रह कर उन्हें छूने वाली पुनर्वास सम्बंधी समस्याओं की सूची तैयार की गई। उनकी मदद के लिए रणनीति

बनाते और इसके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराते। इस कारण लोगों की भूकम्प पश्चात की स्थिति, उनकी अस्थायी व लम्बी अवधि की जरूरतों, पुनर्वास सम्बंधी विचारधारा, तैयारियों के बारे में हमने ठीक-ठीक समझा। जहां तक भचाऊ नगर से सम्बंध है तो कुछ मुद्दे स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए :

१) भचाऊ नगर के अधिकांश लोग मूल स्थान पर ही पुनर्वास चाहते हैं। यद्यपि कुछ परिवर्तन के साथ वे सहमत थे।

२) विशेषज्ञ संस्था द्वारा लोगों के साथ जरूरी संवाद नहीं होता था जिससे आम लोगों की समझ, इच्छा, अनुभव या अधिकार की आवाज दब जाती थी। संक्षेप में, लोग पूरी प्रक्रिया के केन्द्र में नहीं थे, कुछ अग्रणियों के साथ जरूर चर्चा होती होगी, परंतु प्रतिशत काफी कम था।

३) भचाऊ नगर पालिका की अवधि पूर्ण हो चुकी थी, प्रशासक का शासन चलता था। पूरा प्रशासन राहत में लगा हुआ था। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ कर शासन व्यवस्था से सम्बंधित रोजमर्रा के काम भी ठप पड़े थे।

४) लोग अभी भी तम्बू में ही रहते थे। अधिकांश लोग आधार-प्रमाण प्राप्त करने तथा दुर्घटना मुआवजा की प्रक्रिया में लगे हुए थे।

यह एक विशेष प्रकार की स्थिति भी थी। ऐसे में नागरिक संवाद बनाना एक बड़ी चुनौती जरूर थी। विशेषज्ञों की नगर नियोजन की समझ और भाषा तथा लोगों की समझ और भाषा के बीच तालमेल बैठाना काफी जरूरी था। 'उन्नति' ने अपनी जानकारी तथा समझ यहां काम में ली। परंतु किसके आमंत्रण से जुड़ें ? कौन किसे बुलाए ? कैसे बुलाए ? स्थिति यह थी कि स्वयं ही संवाद में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। यह तितर-बितर स्थिति के बीच लोगों के साथ संवाद शुरू किया गया। इसके लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए गए।

हमारे अनुसार नगर नियोजन अर्थात -

- इसमें तमाम नगरजनों के विकास को समान अवसर दिया गया हो,
- ऐसा आर्थिक निवेश जिससे कमजोर वर्गों की आर्थिक या सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय फेरबदल लाया जा सके,
- स्थानीय निकायों की पुनर्वास की समग्र प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका हो,
- बेतरतीब निवेशों की बजाए निश्चित और स्थानीय परिदृश्य को ध्यान में रख कर उद्देश्यपूर्ण निवेश हो,
- लोगों द्वारा होने वाले और हो चुके निवेशों पर इतना ही जोर दिया जाए तथा उन्हें भी इस प्रक्रिया में समान हिस्सेदार के रूप में स्वीकारा जाए,
- विकास नक्शा मात्र एक खुली जगह की योजना न बने, बल्कि लोगों की समझदारी व भागीदारी द्वारा तैयार हुआ एक दस्तावेज हो, जिसमें जरूरत पड़ने पर फेरबदल की गुंजाइश होनी चाहिए।
- यह नक्शा तैयार करने में विषय विशेषज्ञों की मदद जरूरी ली जाए, परंतु वे ही उसके सूत्रधार नहीं बनें। वे मात्र योजना तैयार करने में सहायक बनें, परंतु सच्चे अर्थ में लोग ही उसका क्रियान्वयन करें, इस बात पर जोर दिया जाए,
- नगर नियोजन सम्बंधी दस्तावेज में लोगों की आपदा प्रबंधन सम्बंधी समझ भी उजागर होनी चाहिए और उसके अनुरूप नियोजन होना चाहिए,
- नगर नियोजन किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए और मात्र विकास तथा भागीदारी पर जोर देने वाला होना चाहिए,
- विविध हितधारकों जैसे नागरिकों, सरकार और उसके विविध विभागों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विकास विशेषज्ञों, स्थानीय संगठनों तथा नगरपालिका के बीच समन्वय होना चाहिए,
- नगर नियोजन में तीन रणनीति पर जोर देना चाहिए - संतुलित विकास, आपदा प्रबंधन और सामाजिक न्याय।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को शब्दों में आलेखित करना सरल है, परंतु उन्हें सफल बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में सीमित संसाधनों से पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहना और तटस्थतापूर्वक भूमिका निभाना बहुत कठिन है।

'उन्नति' की भूमिका

भचाऊ के पुनर्वास के लिए निजी संस्था द्वारा तैयार की गई योजना

पर गहन अध्ययन कर इसमें व्याप्त खामियाँ अलग की गईं। नगर के विविध हितधारकों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विविध वार्ड तथा हितधारक अपने दृष्टि बिंदु से इस प्लान में क्या सुझाव देते हैं या चाहते हैं, यह दर्शाने वाला छाया नियोजन (शेडो प्लानिंग) तैयार किया गया। कुछ मूलभूत फेरबदल भी सुझाए गए जिन्हें स्वीकार भी किया गया।

एक अनुमान के अनुसार भचाऊ नगर में २००५ के अंत तक ८० करोड़ रुपए की सरकारी रकम नगर रचना योजना के तहत पांच कार्यों पर खर्च की जानी थी। भचाऊ शहर के कुल सात वार्ड हैं अर्थात प्रति वार्ड ११.५ करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति बीस हजार रुपए होते हैं। लोगों ने अपने मुआवजे की रकम के अलावा अन्य जो अतिरिक्त निवेश किया उसका यहां समावेश नहीं होता है। यह रकम छोटी-मोटी नहीं है। यदि हम उसका उचित उपयोग कर-करा सकें हैं तो नगर के विविध हितधारकों की आर्थिक या सामाजिक स्थिति में भी जरूर फेरबदल ला सकते हैं। सवाल यही है कि हम निवेश को रचनात्मक दृष्टिकोण दें और नगरजनों को सतर्क करें। चर्चा के अंत में लोग कहते : "इस प्रकार की बैठकों में हमने पहली बार भाग लिया। अब हमें समझ में आया कि नगर नियोजन यानी क्या? यह नगर हमने बनाया है, यह नगर हमारा है, हम उसे पुनः खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ी तो हमे मार्गदर्शन देते रहना, हम जहाँ कहोगे, वहाँ प्रस्तुतिकरण को तैयार हैं।" इस कार्यशाला ने सही अर्थों में नगरजनों की संवेदना बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस सफलता के कारण 'उन्नति' और भचाऊ एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी - 'भाडा' के बीच संस्थागत सम्बंध मजबूत हुए। 'भाडा' और 'उन्नति' के संयुक्त प्रयास से 'नागरिक सहयोग केन्द्र' का गठन किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य विविध हितधारकों के बीच समन्वय के अलावा पुनर्वास में सहयोग देना भी है। इस केन्द्र द्वारा लोगों को सुरक्षित मकान निर्माण, मजबूतीकरण के लिए तथा बिल्डिंग उपनियमों की जानकारी देने के उद्देश्य के लिए निर्माण मंजूरी मेले आयोजित किए गए तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राहत दर पर मकान मंजूरी के लिए नक्शे बना कर देने की सेवाएं शुरू की गई थीं। हाल में यह सेवा 'एकलव्य फाउंडेशन' द्वारा दी जा रही है।

प्रभावी नागरिकों तथा प्राधिकरणों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान हो, इसके लिए हर माह नियमित रूप से 'नगरवाणी' नामक एक समाचारपत्र प्रकाशित किया जा रहा है। अब तक कुल ३६ अंक जारी कर चुके हैं। इसमें नगरजनों की समस्याओं व पुनर्निर्माण की स्थिति की समीक्षा कर आधारभूत सूचना जारी की जाती है। यह समाचार पत्रिका की करीब २००० प्रतियाँ निःशुल्क वितरित की जाती हैं। इससे नागरिकों के बीच सूचना का ठीक-ठीक प्रसार होना संभव हुआ है।

इसके अलावा अन्य चारों नगरों की पुनर्निर्माण की स्थिति पर भी ध्यान रखा गया है। इसके अनुभवों से भी भचाऊ नगर के लिए जो किया जा सकता है तथा भचाऊ के अनुभवों से अन्य नगरों में जो हो सकता है उसका आदान-प्रदान संभव हुआ है। सबसे बड़ी समस्या गरीब वर्ग के लोगों (अतिक्रमणकारों) के लिए आवास की भूमिक की वैधता प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। भचाऊ शहर में करीब १,५०० अतिक्रमणकारी थे जो वर्षों से भचाऊ में रहते थे। उनको मुआवजे के रूप में तीनों किश्तें दिए जाने से पहले जमीन की सनद होना जरूरी बनाया गया।

इस केन्द्र द्वारा ऐसे अतिक्रमणकारियों का व्यवस्थित सर्वे किया गया तथा उन्हें पुराने आवास के स्थान पर ५० वर्ग मीटर वैध जमीन दिलाने के लिए जिला कलक्टर तथा अधिकारियों के साथ मिल कर प्रयास किए गए। अब तक ५०० परिवारों के लिए वैधता के आदेश हो चुके हैं और अन्य की कार्यवाही जारी है। गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का यह बड़ा कार्यक्रम साबित हुआ। अधिकार, सुरक्षा और विकास का त्रिवेणी संगम सफल होता लगा। हाल में 'नागरिक सहयोग केन्द्र' नगर की बुनियादी सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है।

हाल ही में जूनावाडा नामक वार्ड में रहने वाले ७०० परिवारों के

शेष पृष्ठ 26 पर

सूचना का अधिकार : व्यवहार और विकास

सूचना के अधिकार का कानून बना और उसका अमल शुरू हुआ। इस कानून ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का तो काम किया ही है, साथ ही सरकारी प्रशासन को उत्तरदायी बना कर जन विकास के कार्यों को पारदर्शी बनाने तथा गति देने का काम भी किया है। इस लेख में सूचना के अधिकार के कानून के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयास व उससे नागरिकों को होने वाले लाभ उदाहरण के साथ दर्शाए गए हैं।

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार लोकतंत्र में बुनियादी अधिकार है क्योंकि राजनीतिक चयन सूचना के बगैर नहीं हो सकते और राजतंत्र में पारदर्शिता नहीं आ सकती अथवा लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। भारत में सूचना के अधिकार का कानून आया, जिससे लोकतंत्र को अधिक जीवंत बनाने के अवसर बढ़ गए हैं। इस कानून के क्रियान्वयन से जो कुछ महत्वपूर्ण मामले हुए हैं उनसे लगता है कि भारत की तंत्र व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधारों की गुंजाइश पैदा हुई है। भारत के नागरिकों तथा सभ्य समाज के संगठनों ने सूचना के अधिकार का उपयोग करके अनेक प्रकार की राहतें प्राप्त की हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से विकास के साथ सम्बंध है। यद्यपि, इस अधिकार के उपयोग के लिए नागरिक पहल करते हैं सरकार द्वारा या सरकारी अधिकारियों द्वारा कई बार उन्हें हतोत्साहित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए नागरिकों व सभ्य समाज के संगठनों को बारबार इस तरह के प्रयास करते रहना जरूरी होता है। यहाँ ऐसे कुछ प्रयासों की जानकारी दी गई है जो अन्य नागरिकों व संगठनों के लिए प्रेरक हो सकती हैं।

सूचना अधिकार - गुजरात की पहल

'सूचना अधिकार - गुजरात की पहल' द्वारा गुजरात के मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष एक आवेदन सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के बारे में किया गया था। इस आवेदन के संदर्भ में मुख्य सूचना आयुक्त ने एक आदेश दि. १९-१-२००६ को जारी किया था। इस आदेश का विवरण निम्नानुसार है :

१. राजस्व विभाग में जन सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकार कौन हैं, कहाँ बैठते हैं और वे अनुपस्थित हों तो किनसे सम्पर्क किया जाए, इस बारे में जानकारी देने वाला बोर्ड बना कर जिस तरह आम जनता के ध्यान में आए उस प्रकार विभाग में लगा कर उसकी सूचना आयुक्त को दी जाए।
२. उपरोक्तानुसार व्यवस्था राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग तथा विभागीय प्रमुखों के कार्यालयों में भी हो, इसके लिए समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जरूरी निर्देश जारी किए जाएँ तथा उसका अमल होने का विवरण आयुक्त को दिया जाए।
३. उद्योग आयुक्त के कार्यालय में प्रोएक्टिव डिसक्लोजर मैन्युअल जन सूचना अधिकारी के पास रखकर, आम जनता के ध्यान में आए ऐसी जगह पर कार्यालय में रखा जाए। उद्योग विभाग को छोड़ कर राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग तथा विभागीय प्रमुखों के कार्यालय जहाँ-जहाँ जन सूचना अधिकारी हैं, वहाँ सभी कार्यालयों में प्रोएक्टिव डिसक्लोजर मैन्युअल पढ़ने के लिए तथा देखने के लिए रखे गए हैं, ऐसा विज्ञापन तथा नागरिकों को सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के तहत जो अधिकार हैं उसकी सूची और किस तरह सूचना प्राप्त की जाए, उसकी जानकारी नोटिस बोर्ड में नागरिकों की जानकारी के लिए रखने के निर्देश जारी करने तथा इस निर्देश के अमल की रिपोर्ट आयुक्त को भेजने को समान्य प्रशासन विभाग से कहा गया है।
४. विकासशील जाति कल्याण विभाग के श्री आर. एस. पटेल, समाज कल्याण अधिकारी को ताकीद की जाती है कि प्रोएक्टिव डिसक्लोजर मैन्युल सात दिन में तैयार करवा कर आयुक्त को सूचित करें।

५. इंस्पेक्शन के लिए प्रथम आधा घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं होता। इसके बाद के प्रत्येक आधे घण्टे के लिए २० रुपए शुल्क का प्रावधान है। अतः फरियादी को इंस्पेक्शन के लिए तद्अनुसार व्यवस्था करने की विकासशील जाति कल्याण विभाग को ताकीद की जाती है।

६. उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करने का अधिकार नागरिक को है और नियमानुसार प्रथम आधे घण्टे के लिए कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है। इस बात को ध्यान में लेकर सामान्य प्रशासन विभाग इस बारे में भी जरूरी निर्देश जारी करे।

७. राजस्व विभाग में मांगी गई सूचना ट्रांसफर करने की बजाए वह सूचना उस विभाग के पास न हो तो उसे ट्रांसफर करने की बजाए वहाँ अलग आवेदन करने को कहा गया है जो वाजिब नहीं है। कानूनी प्रावधान के अनुसार यदि मांगी गई सूचना उसके अधीन नहीं आती हो तब ऐसे मामले में उसे आवेदन मिलने के पाँच दिन के भीतर ऐसे आवेदन प्रपत्र 'च' में सम्बद्ध जन सूचना अधिकारी को भेजना चाहिए।

इस 'पहल' द्वारा इस आदेश के अमल व अन्य मामलों के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से पेश मुद्दे निम्नानुसार हैं :

१. सूचना अधिकार का कानून गुजरात में लागू होने के सात माह के बाद भी अधिकांश सरकारी कार्यालयों में सूचना अधिकारी कौन है व उसके नाम की तख्ती तक नहीं रखी गई है। इस कारण नागरिक आवेदन करने के लिए विभाग में जाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। 'सूचना अधिकार - गुजरात की पहल' द्वारा राज्य आयोग में एक अपील की गई थी। इसके तहत गुजरात राज्य सूचना आयोग ने चार माह पूर्व दिए आदेशानुसार राज्य सरकार को उसके प्रत्येक विभाग के जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी की तख्ती सम्बद्ध विभाग में लगाने का आदेश दिया था। उसे पांच माह हो गए फिर भी गुजरात राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

२. सूचना अधिकार के प्रचार-प्रसार में भी सरकार कमजोर साबित हुई है। 'पहल' द्वारा प्रचार-प्रसार करने सम्बंधी कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकार द्वारा छपवाए जाने वाले नोटिसों, विज्ञापनों, होर्डिंगों तथा प्रचार अभियानों में सूचना के अधिकार का मुद्दा शामिल कर, प्रत्येक बार संक्षिप्त सूत्र छापने का 'पहल' ने सुझाव दिया था। 'पहल' को स्पष्ट लगता है कि सूचना अधिकार के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार के पास धन का नहीं, बल्कि नीयत का अभाव है।

३. सूचना अधिकार के कानून के बारे में समझ प्रत्येक सरकारी अधिकारी में हो, इसके लिए व्यापक सघन तालीम की जरूरत है जिसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) ने ली है। यह प्रशंसनीय है, परंतु ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामीण व तहसील स्तर पर बैठे अधिकारियों को तालीम कब मिलेगी, यह सवाल है। यह वास्तविकता है कि ग्रामीण या तहसील स्तर पर कार्यरत् सरकारी अधिकारी सूचना अधिकार के बारे में कुछ नहीं जानते । विकेन्द्रित ढंग से जिला व तहसील स्तर पर तालीम का आयोजन किया जाए तो तालीम कार्य तेजी से हो सकता है। इसके लिए 'पहल' अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिल कर सरकार के प्रयासों को मजबूत करने को तैयार है।

४. सरकार को अपने प्रत्येक विभाग के सूचना अधिकार के कानून के अमल के बारे में त्रैमासिक तथा ३१ मार्च को पूर्ण होने वाले वर्ष के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करनी थी जो अब तक तैयार नहीं हुई है।

५. राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त जून २००६ में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कानून के तहत उनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती तथा कानून के क्रियान्वयन में सात माह के दौरान राज्य सूचना आयोग के समक्ष फरियादों व अन्य अपीलों का ढेर हो गया है। कुल छह सौ से अधिक मामले सुनवाई की प्रतीक्षा में हैं। इस स्थिति में सूचना अधिकार के कानून के मुताबिक चयन समिति की बैठक बुला कर अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की काफी आवश्यकता है।

६. राष्ट्रीय स्तर पर हुए अनुभवों के अनुसार राज्य सूचना आयोग सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारियों के लिए रोजगार विनिमय केन्द्र नहीं बन जाए, इसके लिए आयुक्त के रूप में विविध फैकल्टी के व्यक्ति विशेषों का चयन होना जरूरी है।

अपील ही अपील

'पर्यावरण मित्र' संस्था द्वारा गुजरात व केन्द्र सरकार के विविध विभागों में कुल ६० आवेदन किए गए हैं। इनमें से चार आवेदनों में प्रथम अपील दाखिल की गई है। चारों मामलों में प्रथम अपील के निर्णय से संतोष नहीं होने पर मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष दूसरी अपील दाखिल की गई है। दूसरी अपील के चार मामलों में से दो मामलों की रूबरू सुनवाई हो गई है। मुख्य सूचना आयुक्त की भूमिका सरकार समर्थक जैसी ही है।

आज तक उनके यहाँ दाखिल हुए ७२ आवेदनों में से एक भी मामले में किसी भी जन सूचना अधिकारी को दंडित नहीं किया गया है। प्रथम अपील अधिकारी के हाथ में पर्याप्त अधिकार नहीं होने के कारण केवल समय बर्बाद होता है और ३० दिन में दी जाने वाली सूचना उनके कहने से ९० दिन में मिलती है। भरूच के कलक्टर कार्यालय में आवेदन कर उसके साथ आवेदन शुल्क के रूप में कानूनन २० रुपए का नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प चिपकाया गया। जवाब मिला कि कानून के मुताबिक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील दाखिल की, तो कलक्टर यानी प्रथम अपील अधिकारी की ओर से जन सूचना अधिकारी, जिसके विरुद्ध हमने शिकायत की थी, उन्होंने जवाब दिया कि अपील नामंजूर की जाती है और अपील अधिकारी यहाँ हाजिर हैं!! इस निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील दाखिल की गई है।

दूसरे मामले में गुजरात ढांचागत विकास बोर्ड कुछ सूचना मांगी गई थी। दो माह बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर प्रथम अपील दाखिल की गई। एक माह में उसका जवाब नहीं मिलने पर दूसरी अपील दाखिल करनी पड़ी। जब मुख्य सूचना आयुक्त ने बोर्ड के समक्ष इस आवेदन को लेकर खुलासा मांगा तो जवाब मिला कि कोई आवेदन या अपील मिली ही नहीं है। हमारे पास कुरियर की रसीद तथा शुल्क के रूप में दिए डीडी को भुनाने की रसीद है। मुख्य सूचना आयुक्त ने बोर्ड को रूबरू बुला कर सुनवाई करने का निर्देश दिया जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। गुजरात में अब से आवेदन शुल्क के भुगतान के रूप में नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प का उपयोग नहीं हो सकेगा क्योंकि हाल ही में गुजरात सरकार ने परिपत्र जारी किया है कि नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प की न्यूनतम कीमत १०० रुपए होगी। इससे इस कानून के तहत किए जाने वाले आवेदनों में भरे जाने वाले २० रुपए शुल्क के लिए यह विकल्प नहीं चलेगा। अब मात्र नकद या डीडी द्वारा ही शुल्क भुगतान किया जा सकेगा।

नमक मजदूर हितरक्षक मंच

'नमक मजदूर हितरक्षक मंच' के श्री शैलेष पटेल ने एक आवेदन इस सूचना को पाने के लिए किया था:
(१) गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले के मोबाइल हेल्थ वैन यूनिट द्वारा स्वास्थ्य जांच किए गए मरीजों की जानकारी। (२) उन मरीजों के नाम, पते, रोग का प्रकार, दी गई दवाइयां, दिया गया उपचार, उपचार के बाद का काम। (३) मोबाइल हेल्थ वैन कहाँ-कहाँ घूमी, उसका मार्ग और लॉगबुक। उन्हें तीस दिन में सूचना नहीं मिली।

३० दिन के बाद उन्हें बताया गया कि इस सूचना की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए ३,६०० रुपए देने होंगे। उन्होंने सूचना अधिकारी से मुलाकात की तो उन्हें पता चला कि इस अधिकार के अमल के बारे में अधिकारी को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इस पर पटेल ने उस अधिकारी को कानून की जानकारी दी। फिर अधिकारी ने माफी मांगी और कहा कि वे सभी सूचना मुफ्त में देंगे। जो सूचना मिली, वह नमक कामगारों को बताई गई और इससे उनमें जागृति आई। अब मोबाइल हेल्थ वैन नमक कामगारों के काम के स्थलों का भी दौरा करती है।

नागरिकों की भागीदारी

'उन्नति' द्वारा धोळका नगर में चलाए जा रहे 'नागरिक सहयोग केन्द्र' द्वारा दि. २७.३.२००६ को गटर के बारे में जानकारी मांगी गई थी जिसके अनुसार धोळका नगर पालिका के सेनिटरी विभाग से मार्च-२००५ से २१ मार्च-२००६ के दौरान धोळका नगर पालिका द्वारा कुल कितने ढक्कन खरीदे गए। इन ढक्कनों को धोळका शहर में जिन-जिन जगहों पर लगाया गया उनके पते के साथ जानकारी दी गई थी।

यह सूचना मांगने का उद्देश्य यह था कि नगर पालिका द्वारा जो ढक्कन खरीदे गए थे और जहाँ-जहाँ लगाए गए थे उसके बारे में जानकारी मिले और यह सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। लोगों द्वारा ढक्कन को लेकर की जाने वाली शिकायतों जैसे कि ढक्कन नहीं होने के कारण लोग गटर में गिर जाते थे, गटर में कचरा भर जाता था और गंदगी होती थी। इन कारणों के आधार पर सूचना मांगी गई थी। यह सूचना मांगने के लिए कोरे कागज पर जन सूचना अधिकारी के नाम एक आवेदन किया गया। आवेदन के २० रुपए भी जमा कराए गए और उसे २७.३.२००६ को दिया गया है। दिए गए आवेदन के संदर्भ में धोळका नगर पालिका ने अपने कार्यकाल में सूचना लिखित स्वरूप में, आवेदन के संदर्भ में समूचे विवरण के साथ रूबरू में बुला कर दी थी। उनके द्वारा कहा गया था कि आपको कोई भी परेशानी हो तो सेनिटरी विभाग से सम्पर्क करें। जहाँ परेशानी हुई, वहाँ नगर पालिका से सम्पर्क किए जाने पर उन्होंने उस बारे में योग्य सूचना दी। नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना धोळका शहर के विविध क्षेत्रों में लोगों तक पहुँचाई गई और यह बताया गया कि उस क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा कुल कितने नग ढक्कन की फिटिंग की गई है।

इस पूरी प्रक्रिया में सम्बद्ध क्षेत्र के नागरिकों को शामिल किया गया, जिससे यह सूचना कुछ समय में अधिकाधिक क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों तक पहुँच सके। नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना किस हद तक सच्ची है, इसकी पुष्टि लोगों से अपने क्षेत्र में जांच करके करने को कहा गया और परेशानी हो तो नगर पालिका से सम्पर्क करने को कहा गया। सम्बद्ध क्षेत्र के नागरिक नेता द्वारा अपने क्षेत्र की जांच करने के बाद 'नागरिक सहयोग केन्द्र' का सम्पर्क किया जाता और लोग बताते कि उनके क्षेत्र में डाले गए ढक्कनों की संख्या व पते ठीकठाक हैं। इस प्रकार धोळका नगर पालिका के अधिकारियों व स्टाफ द्वारा इस विषय में उचित सहयोग मिला।

बिजली का नया कनेक्शन मिला

अशोक गुप्ता नामक एक नागरिक ने अपने घर बिजली के नए कनेक्शन के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड में आवेदन किया। बोर्ड के लोगों ने रिश्वत मांगी। गुप्ता ने रिश्वत देने से इनकार किया। फलतः उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। उन्होंने बोर्ड के कई चक्कर लगाए परंतु सब व्यर्थ गया। फिर उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया और निम्नानुसार जानकारी मांगी।

(१) मैंने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और अब तक इसमें की क्या प्रगति हुई है ?
(२) उन अधिकारियों के नाम व पद बताओ, जिन्होंने मेरे आवेदन के सम्बंध में कदम उठाने हैं, परंतु उठाए नहीं हैं।
(३) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत आवेदक को ३० दिन में बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए। क्या वे अधिकारी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी हैं?
(४) उन्होंने मुझे समय पर कनेक्शन नहीं देकर मानसिक तनाव दिया है। क्या वे लोगों को उत्पीड़ित करने के दोषी नहीं हैं?
(५) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो कितने समय में?
(६) मुझे बिजली कनेक्शन कब मिलेगा?

ऐसा आवेदन करने के बाद अशोक गुप्ता को बिजली कनेक्शन मिल गया! मानो चमत्कार हो गया। ऐसा कैसे हुआ? यदि सूचना के अधिकार का कानून न होता तो गुप्ता का आवेदन कूड़ेदान में पड़ा होता। परंतु दिल्ली का सूचना अधिकार का जो कानून है उसमें प्रावधान है कि जो अधिकारी समय रहते सूचना न दे, उसके वेतन से दैनिक ५० रुपए काट लिए जाएँगे। इसलिए उन्हें गुप्ता के आवेदन पर सूचना तो देनी ही पड़ती, परंतु गुप्ता को उनके द्वारा मांगी हुई सूचना देना उनके लिए टेढ़ी खीर था! इसीलिए सूचना देने की जाए बिजली कनेक्शन देना ही मुनासिब समझा गया! दिल्ली राज्य ने जो सूचना अधिकार कानून बनाया था उसी के फलस्वरूप यह परिणाम आया।

प्रदूषक कारखाना बंद हुआ!

पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर के निवासी कपिल जैन के पड़ोसी ने प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का कारखाना शुरू किया। इससे उनके मकान की दीवारों में कम्पन और भारी वायु प्रदूषण फैला। इसकी दुर्गंध उबकाई लाने वाली थी। १९९३ में यह कारखाना शुरू हुआ। १९९५ में उन्होंने पहली बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई परंतु कुछ

नहीं हुआ। उन्होंने अंततः उम्मीद ही छोड़ दी और अपना घर बेच कर दूसरी जगह रहने का निश्चय कर लिया।

परंतु कपिल जैन ने पुलिस उपायुक्त से शिकायत की और अंततः सूचना अधिकार कानून के तहत एक आवेदन कर सूचना मांगी गई कि उनके आवेदन का क्या हुआ? उन्हें सूचना दी गई कि उनका आवेदन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा गया है, परंतु कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने सूचना अधिकार कानून के तहत पुनः आवेदन किया और उन्हें बताया गया कि उन्हें एक ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट भेज दी गई है कि वह कारखाना प्रदूषक इकाई है और बंद होना चाहिए। उन्हें मिले पत्र की प्रति के साथ वे सम्बद्ध अधिकारी से मिले और दूसरे दिन वह प्रदूषक कारखाना बंद हुआ।

सूचना के अधिकार का उपयोग करने के बारे में उपरोक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि सूचना अधिकार कानून के तहत अकल्पनीय परिणाम आए हैं। ऐसे तो कई उदाहरण समग्र देश के अनुभवों से लिए जा सकते हैं। इनसे सूचना अधिकार कानून की काफी उपयोगिता व प्रासंगिकता इससे उजागर होती है।

पृष्ठ 21 का शेष भाग

साथ मिलकर एक मिसाल स्थापित करने का काम किया गया है। पूरे क्षेत्र में आतंरिक सड़क, कम्युनिटी सेंटर, पेयजल, दूषित जल निकासी आदि का आयोजन लोग साथ मिल कर कर रहे हैं। जूनावाडा विकास समिति नामक एक स्थानीय संगठन तैयार किया गया है। भुज की 'हुनरशाला' तथा 'उन्नति' एवं समुदाय के संयुक्त प्रयासों से यह काम चल रहा है। अन्य संस्थाएं भी यथा संभव आर्थिक सहयोग व समर्थन कर रही हैं।

गरीब बस्ती, जहां आवास की जमीन की कीमत बहुत ऊँची है वहाँ स्वेच्छा से सड़क के लिए जगह आवंटित करना तथा सार्वजनिक सुविधाओं के क्रियान्वयन व रख-रखाव की जिम्मेदारी भी लोग ले रहे हैं। आशा है कि धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों के नगरजन भी इससे सबक लेंगे और अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएँगे।

उपसंहार

पुनर्निर्माण के चरण के बाद विकास का चरण आकार ले रहा है। अब निर्वाचित समिति नगर पालिका की जिम्मेदारी संभाल रही है। 'भाडा' कार्यालय का काम लगभग पूरा होने को है। नगर पालिका को विशेष सेवाओं की देखभाल और स्थायी खर्चों से निपटने के लिए आय के नए संसाधन स्थापित करने पड़ेंगे। पालिका की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभ्य समाज को आगे आकर समर्थन देना होगा। जब नगर पालिका में निर्वाचित प्रतिनिधि आए हों तब नए परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार के मुद्दे पर नागरिकों की जानकारी एवं कुशलता विकसित करने के लिए पद्धतिपूर्ण नियोजन किया जा रहा है। नगर के पुनर्निर्माण में नागरिकों की भागीदारी के तहत यह अनुभव काफी उपयोगी साबित हुआ। आशा है कि इस अनुभव से सीख प्राप्त कर नागरिक भागीदारी की दिशा में नई मिसालें पेश कर सकेंगे।

पृष्ठ 30 का शेष भाग

(६) नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए संसाधन विकसित करना।

(७) विकास योजना (डीपी) तथा नगर विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करना।

गैर-सरकारी संगठनों ने इस प्रक्रिया को गुजरात में अन्य स्थानों पर ले जाने की तैयारी दिखाई थी। अंत में गुजरात म्युनिसिपल फाइनांस बोर्ड के श्री जे. जी. हिंगराजिया ने सभी का आभार जताया।

घरेलू हिंसा अधिनियम के अमल पर परिसंवाद

गुजरात के राज्य महिला आयोग, 'जेन्डर रिसोर्स सेंटर' और 'सौराष्ट्र-कच्छ नेटवर्क ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन' द्वारा जून-२००६ में अहमदाबाद में 'घरेलू हिंसा अधिनियम का अमल-जागृति, तंत्र और निहितार्थ' के बारे में एक राज्य स्तरीय परिसंवाद एक दिन के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य हाल ही में बने इस कानून को लेकर सरकारी विभाग, सभ्य समाज के संगठनों, विद्वतजनों और पत्रकारों जैसे विविध हितधारकों को सूचना देना था जिससे वे इस कानून के प्रभावी अमल के लिए राज्य स्तरीय रणनीतियां बनाने की प्रक्रिया शुरू करें।

गतिविधियाँ

गटरों की सफाई मनुष्यों द्वारा नहीं कराने का आदेश

गुजरात उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ ने पालिका के अधिकारियों को गटरों की सफाई के लिए मनुष्यों को नहीं लगाने का आदेश दिया है। 'कामगार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' और 'लोक अधिकार संघ' द्वारा किए गए दो आवेदनों के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। अदालत के आदेश का विवरण निम्नानुसार है :

(१) अत्यंत अनिवार्य नहीं हो तो गटरों की सफाई मनुष्यों द्वारा नहीं कराई जाए।

(२) यथा संभव पालिकाओं को उनकी जरूरत व वित्तीय स्थिति के अनुसार संसाधन या यंत्र खरीदने चाहिए।

(३) इसके लिए कॉन्ट्रेक्टर नहीं रखे जाएँ।

(४) यदि गटर में कामगार का उतरना जरूरी हो तो उसे जहरीली वायु से बचाने के उपाय पहले से करने चाहिए।

(५) कामगार गटर में उतरे, उससे पहले उसे ऑक्सीजन मॉस्क, हेलमेट, गोगल्स, गमबूट, एयर ब्लोअर, सेफ्टी बेल्ट, टॉर्च आदि तमाम सुरक्षा संसाधन देने चाहिए।

(६) सफाई कार्य शुरू करने से पहले स्थल पर अधिकारियों को पानी व गैस के नमूने अनिवार्य रूप से लेने होंगे और इन दोनों में से एक भी यदि कामगार के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लगे तो इस प्रकार के संसाधन अनिवार्य रूप से होने चाहिए कि जिससे गटर में दुर्घटना रोकी जा सके। उसके पास गैस डिटेक्टर होना भी जरूरी है।

(७) कामगारों को सफाई का काम, प्रतिरोधात्मक कदम तथा सतर्कता की स्थिति में सम्पर्क नंबरों की सूचना वाली छोटी-सी पुस्तिका दी जाए। वे इसमें दर्शाए तमाम कदमों का पालन करें, इसके लिए विशेष रूप से कहा जाए।

(८) स्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बंधी समस्याओं के बारे कामगार को प्रशिक्षण देना चाहिए। उनके काम की स्थिति यानी जहरीली गैस की मौजूदगी व अन्य जोखिमों के बारे में जागृत करना चाहिए। उनके काम के गुणदोष क्या है और प्रतिरोधात्मक कदम क्या हैं, इस बारे में उन्हें सतत तालीम देनी चाहिए। अहमदाबाद के केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड द्वारा यह तालीम दी जानी चाहिए।

(९) सरकार को सुरक्षा के कदमों व तालीम कार्यक्रमों की निगरानी रखने के लिए विविध स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन करना चाहिए। यह समिति सुरक्षा के पहलुओं व प्रतिरोधात्मक कदमों के बारे में ध्यान रखेंगी।

(१०) प्रत्येक पालिका समय-समय पर सफाई कामगारों की स्वास्थ्य जांच कराए। यदि कामगार पर सफाई के कार्य के कारण विपरीत प्रभाव दिखाई दे तो तत्काल उसका अन्य विभाग में स्थानांतरण करना चाहिए।

(११) पालिका को इस बारे में एक अलग विभाग बनाना चाहिए जिससे विभागवार सघन निगरानी रखी जा सके। यह विभाग कामगारों से सम्बद्ध समस्याएँ सुलझाने में मदद कर सकेगा।

(१२) पालिकाओं को कामगारों को बुनियादी सुविधाएँ मुहैया करानी चाहिए। उनके परिवार के सदस्यों को शिक्षा देनी चाहिए।

(१३) पालिकाओं को इन कामगारों को अनिवार्य रूप से बीमा सुरक्षा देनी चाहिए और उसका प्रीमियम भरना चाहिए। समाज कल्याण विभाग की विविध योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया जाए। पालिकाएँ यह भी देखें कि उन्हें दुर्घटना के मामले में मुआवजा मिले और मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को नौकरी मिले।

इस फैसले की समीक्षा करने के लिए ३ जुलाई को एम. जे. लाइब्रेरी, अहमदाबाद में एक बैठक आयोजित की गई। फैसले के महत्वपूर्ण पहलुओं को अधिकांश अखबारों में योग्य स्थान दिया गया है। राज्य भर में इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों की संख्या काफी बड़ी है। वे बुनियादी सेवा यानी सफाई/स्वच्छता के काम से जुड़े

हैं। स्वयं गंदगी में रह कर दूसरों को साफ रखते हैं। सफाई के अलावा तमाम सेवाओं में अन्य जाति-धर्म के स्त्री-पुरुष देखने को मिलते हैं, जबकि गटर सफाई काम में मात्र वाल्मीकि समाज ही जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय के संदर्भ में यह एक अन्याय है। यह समीक्षा बैठक अहमदाबाद के 'कामगार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल' व 'लोक अधिकार संघ' और विविध गटर कामदार संगठनों के संयुक्त प्रयासों से आयोजित हुई थी।

प्रारंभ में नड़ियाद-खेड़ा जिले के प्रतिनिधि श्री मगनभाई ने कामगारों की स्थिति के बारे में वर्णन करते हुए यह शिकायत की कि कामगारों के शोषण व विविध कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें किस तरह वंचित रखा जाता है, इसकी शिकायत की और आंकड़ेवार सूचना दी कि पांच करोड़ की आबादी में २५ लाख तो ऐसे लोग हैं। गटर कामगार की ड्यूटी पर मृत्यु हो तो उसे कुछ आर्थिक मुआवजा जरूर मिलता है, परंतु इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह काम जारी ही रखना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा हुई है क्योंकि सामाजिक रूप से यह वर्ग काफी पिछड़ा है। इसीलिए 'गटर सफाई कामगार' से आगे के पद पर वह पहुँच नहीं सकता। आम जनता तथा अधिकारी गटर सफाई के काम का विश्लेषण करते समय सफाई कामगार के दायित्व पालन को दोष देते हैं, परंतु एकाध बार कोई अधिकारी गटर में उतर कर तो देखे? अंदर क्या हाल है - क्या होता है, यह अनुभव तो ले? बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि समुद्र में डुबकी लगाने वाले तो मोती लेकर आते हैं, जबकि गटर सफाई कामगार मौत लेकर आता है। उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि हमें इस स्थिति को चुनौती के रूप में लेना होगा और संघर्ष भी करना होगा।

अन्य अग्रणी श्री कस्तूरभाई ने सूचना अधिकार कानून के तहत १६९ नगर पालिका सफाई कामगारों की स्थिति की जानकारी मांगी थी। इसमें से ८० नगर पालिका की सूचना का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि जब तीन करोड़ की आबादी थी तब सफाई कामगारों का जो महकमा था वह अभी भी जस का तस है। आबादी बढ़ी है, परंतु पालिकाओं ने सेवकों की संख्या नहीं बढ़ाई है। उल्टे, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा दाखिल कर उन्हें विविध लाभों से वंचित रखा जाता है।

फादर सेड्रिक प्रकाश को फ्रांस का 'शेवेलियर दे ला लिजियन द ऑनर' सम्मान

अहमदाबाद के 'जज्विट सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड पीस' - प्रशांत के निदेशक फादर सेड्रिक प्रकाश को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। भारत में फ्रांस के राजदूत श्री डोमिनिक गिरार्ड ने दिल्ली स्थित फ्रांस के एलची कार्यालय में १८.७.२००६ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया।

१८०२ में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस एवार्ड की शुरूआत की थी। यह पुरस्कार फ्रांस के सैनिक या असैनिक लोगों को बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। बहुत कम ही विदेशियों को यह एवार्ड दिया जाता है। फादर सेड्रिक प्रकाश ने २००२ में गुजरात के दंगों के बाद वाशिंगटन में अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य मंच के समक्ष भी गवाही दी थी। १९९५ में फादर सेड्रिक प्रकाश को भारत के राष्ट्रपति के हाथों कौमी सद्भावना व शांति के लिए कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष २००३ में उन्हें मानवतावादी कार्य के लिए अमेरिका के 'इंडियन मुस्लिम काउन्सिल' द्वारा 'रफी अहमद किदवाई एवार्ड' भी दिया गया था।

कामगारों की स्थिति को कानूनी आवेदन के स्वरूप में देखते हुए न्याय की मांग करने वाले जाने-माने कर्मशील और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री गिरीशभाई पटेल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे

थे। फैसले की समीक्षा से पहले उन्होंने स्पष्टता की, 'मुझे मात्र न्यायालय के आदेश/सिफारिशों की समीक्षा नहीं करनी है, बल्कि समाज के उच्च वर्ग को संदेश देना है जो पूरी परिस्थिति से बेखबर है। वे इस समाज के प्रति संवेदनहीन हैं। उनके लिए और उनके रुख के प्रति ध्यानाकर्षण कराना है। हमें यह वर्ग किस स्थिति के बीच जी रहा है, कैसा काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, दुर्घटना हो, तो उसे क्या मिलता है, वह प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, इस बारे में जानकार रहने की जरूरत है। उनके प्रति संवेदनशील बनना होगा।' कोर्ट के आदेश का आदर करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे मतानुसार कदाचित पहली बार ऐसा महत्वपूर्ण फैसला आया है।' अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कानून तो मात्र हथियार है। उसका उपयोग इंसान को करना है। तंत्र इसका कैसा अर्थघटन करेगा, इसका उन्हें पता नहीं है, परंतु कामगार यदि इसका उपयोग नहीं कर सके, तो फैसले का अर्थ मारा जोगा और ऐसा करने के लिए कामगारों को संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने विशेष जोर देकर कहा कि शहर खूब सुंदर दिखें, स्वच्छ दिखें, यह उसकी स्वस्थता की निशानी है, परंतु इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए वाल्मीकि समाज के अलावा और कोई काम नहीं करता यह बड़ा विरोधाभास है। इस वर्ग को भी हम सबकी तरह अच्छा व स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। दुर्भाग्य से प्रचार माध्यम इस वर्ग की दुर्दशा पर गौर नहीं करता। ऐसे में इन कामगार संगठनों ने बात उठाई है। अतः वे सम्मान के पात्र हैं।

उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर दलीले देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट के समक्ष यह सामाजिक भेदभाव व उसके कारण उत्पन्न स्थिति का संदर्भ है। ऐसा काम इस वर्ग की बलि देकर ही क्यों ? वे यह काम किस तरह और क्यों कर रहे हैं! यह समझाना जरूरी बना है। एक तरफ वैश्वीकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत देश भी परमाणु प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में है तब क्या वैज्ञानिकों का यह दायित्व नहीं है कि वे सफाई कामगार के लिए ऐसा अनुसंधान करें कि जिससे जीवित इंसान को गटर में न उतरना पड़े! जिस देश में गटर साफ करने के लिए इंसान को गंदगी में डुबकी लगानी पड़ती हो, उस देश को परमाणु बम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आगे बात बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट में कई बार छोटे इंसानों के हित में न्याय की मांग करने पर वकील मित्रों को भी आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि कानूनी लड़ाई तो बड़े लोगों के विरुद्ध होती है। रिलायंस या अम्बानी के विरुद्ध लड़ना चाहिए, परंतु ऐसे गटर कामगारों के लिए तो कहीं आवेदन किया जाता होगा?

इस स्थिति के बीच भी अदालत ने जो आदेश दिया है उसका आदर करते हुए उन्होंने चार महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ ध्यान दिलायाः

(१) गटर सफाई में वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को नगर पालिकाओं को सहयोग देने पर जोर।
(२) कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर नियंत्रण।
(३) कामगार की मौत पर सम्बद्ध अधिकारी को जवाबदेह मानना।
(४) कामगारों की समेकित स्थिति सुधारने पर जोर।

उन्होंने कहा कि कामगार संगठनों द्वारा सिफारिशों को लोक भाषा गुजराती में पुस्तिका के रूप में जारी किया जाएगा जिससे कामगार अपना हित समझ सकें। यहाँ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून से क्रांति नहीं आती, बल्कि क्रांति से कानून आता है - बदलता है। कानून का क्रियान्वयन अंततः तो सरकार को ही करना है। अतः हमें यह मान कर बैठ जाने की जरूरत नहीं है कि अब सब ठीक हो जाएगा, बल्कि संघर्ष जारी रखना होगा। साथ ही उन्होंने सूचना के अधिकार के उपयोग से कुछ मांगें बुलंद बनाने के दिशा-निर्देश दिए। वाल्मीकि समाज पर मार्मिक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनके समाज के बीच जो छोटे-मोटे भेदभाव हों उन्हें भुला कर उन्हें एकता की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसी चर्चा सभाएँ गुजरात में अन्य नगरों में भी आयोजित करने की योजना है।

राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन

'उन्नति' द्वारा दि. २०.६.२००६ को अहमदाबाद में 'अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन' (एएमए) में राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन (एनयूआरएम) के बारे में एक परामर्श सभा आयोजित की गई। भारत सरकार आगामी सात वर्ष की अवधि में ६३ शहरों में

५०,००० करोड़ रुपए इस मिशन के तहत खर्च करेगी। इसमें दो बातें हैं : शहरी ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराना और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देना। इस सभा के दो उद्देश्य थे : (१) मिशन के अमल के बारे में राज्य की स्थिति की समीक्षा। (२) मिशन की योजनाओं के अमल व निगरानी में सभ्य समाज के संगठन तथा समुदाय-आधारित संगठनों की भूमिका की जांच करना। इस सभा में 'गुजरात शहरी विकास मिशन' और गुजरात म्युनिसिपल फाइनांस बोर्ड (जीएमएफबी) के अधिकारी, अर्थशास्त्र के विद्वान, नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि समेत ४१ लोग उपस्थित थे।

यह मिशन क्या है। इस बारे में सरकारी अधिकारियों ने समझाया। श्री महेश सिंह ने कहा कि शहरी विकास वर्ष २००५ मनाने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन का ही था। उन्होंने कहा कि मिशन के अमल में सुधार के साथ सहायता को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने गुजरात शहरी विकास निगम के ढांचे के बारे में भी जानकारी दी। शहरी वित्त व्यवस्था के विशेषज्ञ डॉ. रविकांत जोशी ने तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) के राष्ट्रीय स्तर के कार्य व राज्य स्तर के कार्य के बारे में चर्चा की और सहभायियों ने गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में चर्चा की। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका तीन प्रकार से देखी जाती है : (१) नगर विकास योजना (सीडीपी) का निर्माण, अमल व देखरेख का कार्य। (२) प्रक्रियाओं व प्रभावों का मूल्यांकन करना। (३) विविध हितधारकों की क्षमता बढ़ाना और नागरिकों को जागृत करना।

इस सभा में मिशन की प्रक्रिया को सहभागी बनाने के लिए निम्नलिखित कुछ मुद्दे उठाए गए थे :

(१) गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, सभ्य समाज को शामिल कर नगर विकास योजना तैयार करना।
(२) हाल में जो १७ नगरों में उसे बनाने की प्रक्रिया जारी है वहाँ गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत बनाना।
(३) परियोजनाओं का आयोजन तथा अमल केन्द्रित तरीके से न हो, उसका ध्यान रखना।
(४) शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका बिल्कुल सीमित न हो जाए, यह ध्यान रखना।
(५) स्थानीय नेतृत्व निर्णय-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यह देखना।

शेष पृष्ठ 26 पर

पृष्ठ 32 का शेष भाग

तीन माह के दौरान साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम में इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गयाः सूचना अधिकार कानून, जल चेतना यात्रा, किसान महोत्सव, लड़कियों के विद्यालय में पंजीकरण तथा घरेलू हिंसा।

शहरी

'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन' के बारे में, गुजरात में उसके अमल की स्थिति के बारे में और गैर-सरकारी संगठनों की संभावित भूमिका के बारे में चर्चा करने एक राज्य स्तरीय विमर्श सभा का आयोजन किया गया। गुजरात शहरी विकास मिशन और गुजरात म्युनिसिपल फाइनांस बोर्ड के प्रतिनिधियों समेत ४२ सहभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। शहरी आयोजन व संचालन के बारे में १९०-२० अप्रैल के दौरान १० नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए एक तालीम कार्यक्रम रखा गया। खेड़ब्रह्मा नगर पालिका के १४ सदस्यों को केरल राज्य गरीबी निवारण कार्यक्रम के कुटुम्बश्री प्रोजेक्ट के शैक्षणिक दौरे पर भेजा गया जिससे शहरी गरीबों की भागीदारी के बारे में उनका दृष्टिकोण तैयार हो। खेड़ब्रह्मा व साणंद नगरों में नागरिकों की बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति पर देखरेख के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। उन्होंने बाद में नगर पालिका के अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी और जल समिति के अध्यक्ष के साथ चर्चा की। पाइप लाइनें बिछाने और टंकियों पर विशेष चर्चा की गई। ईडर व मोडासा नगरों के लिए ठोस कचरा प्रबंध योजनाएँ समुदाय व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके तैयार की गई हैं।

पिछले तीन महीनों के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की गईं :

१. सामाजिक समावेश और सक्षमता

दलित

इस वर्ष राजस्थान भारी अकाल का सामना कर रहा है। इसलिए दलित संसाधन केन्द्र सरकार के अकाल राहत कार्यक्रमों पर निगरानी रखने में व्यस्त हैं। उदाहरण के तौर पर वे लाभार्थियों की पहचान, उचित वेतन भुगतान, काम के समय की स्थिति आदि के बारे में अनियमितताओं पर ध्यान रखते हैं। दलित नेताओं की क्षमतावर्धन के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सूचना के अधिकार की तालीम देने के लिए सिंदरी तहसील के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव के ४ मामलों में, अत्याचारों के दो मामलों में, महिलाओं के प्रति हिंसा के २ मामलों में और भूमि के अतिक्रमणों के तीन मामलों में कानूनी सहयोग दिया गया। जमीनों के अतिक्रमण के दो मामलों में ११७ परिवारों की आवासीय जमीन भी शामिल थी।

ग्रामीण स्तरीय समितियों के निरीक्षण के तहत सबसे असहाय परिवारों के १३ जल संग्रह स्थानों की मरम्मत की गई। फरवरी-मार्च, २००६ के दौरान पानी व सफाई के लिए अभियान का आयोजन ३ गांवों में किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षाप्रद व स्वास्थ्यप्रद तरीकों को बढ़ावा देना था। इसके लिए ३०० परिवारों व उनके बच्चों के साथ कार्यशाला आयोजित हुई। मुंबई के 'रेडार' द्वारा छह गांवों में जल सुरक्षा कार्यक्रम की तकनीकी समीक्षा की गई। उनके सुझावों के आधार पर १७-२३ जून के दौरान निर्माण मजदूर (कडिया), समुदाय के नेताओं व प्रायोजकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ४ संगठनों के ३२ सहभागियों ने हिस्सा लिया। पश्चिम राजस्थान में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की अभिमुखता जागृत करने के लिए जोधपुर में सुरक्षित जल नीति पर २२-४-२००६ को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें १८ गैर-सरकारी संगठनों के ४२ सहभागियों ने हिस्सा लिया। दूसरी कार्यशाला १८-२० मई, २००६ के दौरान लघु ऋण, ग्रामीण आवास, विकास संचार, स्थलांतर और ग्रामीण जीवन निर्वाह, शिक्षा की गुणवत्ता, ग्रामीण बीमा जैसे विकास के समकालीन मुद्दों के बारे में आयोजित की गई। इसमें ५८ गैर-सरकारी संगठनों के ६५ सहभागियों ने हिस्सा लिया।

विकलांगता

अहमदाबाद के लॉ गार्डन और मणिनगर गार्डन को सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए हुए सुधार की अंतरिम समीक्षा की गई। सौम्य बिल्डर्स तथा वरिष्ठ स्थपति श्री कमल मंगलदास के साथ उसमें जरूरी फेरबदल पर चर्चा की गई। 'एक्सेस रिसोर्स ग्रुप' के सहयोग से अहमदाबाद हवाई अड्डा और अंधजन मंडल का भी प्राथमिक उपलब्धता सर्वेक्षण किया गया। 'सेन्स इंटरनेशनल (इंडिया)' द्वारा लागू किए गए 'एनजीओज लर्निंग फ्रॉम ईच अदर' प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया और उसकी रिपोर्ट सौंपी गई। योजना आयोग के सदस्य श्री युगांधर के आग्रह पर गुजरात में विकलांगता के मुद्दे पर मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें १२ संगठनों ने हिस्सा लिया।

आपदा के प्रतिकार की तैयारी

पिछले तीन माह के दौरान लाखारा वांढ में ७५ घरों की मरम्मत की गई है। बनियारी गांव के छह और बंधडी गांव के दो स्थलों पर सामुदायिक आपातकालीन योजना पूरी की गई है और जलापूर्ति, घरेलू बिजली, तालाब गहरा करने और सामुदायिक आवास का निर्माण आदि क्षेत्रों में काम किए गए। एम्ब्रोइडरी का काम करने वाली महिलाओं के समूहों को स्वास्थ्य एवं सामान्य बीमा के लिए 'बीमा सेवा'

का सदस्यपद दिलाने के प्रयास शुरू हुए हैं। इसके अलावा नए फैशन की वस्तुएँ विकसित की गई हैं।
'उन्नति' के वरिष्ठ कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए परिणाम-आधारित संचालन के बारे में एक कार्यशाला नई दिल्ली के 'एसोसिएशन फॉर स्टिम्युलैटिंग नो-हाऊ' के सहयोग से आयोजित की गई।

२. नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण

गुजरात में 'राज्य ग्रामीण विकास संस्थान' (एसआईआरडी) के सहयोग से सैटकॉम की मार्फत प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें ३८ केन्द्रों में २६ जिलों की ग्राम पंचायतों के ८८६ सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस तालीम में ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास आयुक्त व सचिव तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त निदेशक ने भी लोगों के साथ संवाद किया। इस तालीम में साइट व ऑडियो सेसन्स, पुस्तिकाओं जैसी शिक्षा सामग्री तथा दृश्य-श्रव्य फिल्मों आदि का समावेश था। साबरकांठा जिले की चार तहसीलों खेड़ब्रह्मा, ईडर, हिम्मतनगर एवं मोडासा में एक दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम सूचना के अधिकार कानून तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के बारे में आयोजित किए गए। इसमें २० नागरिक नेताओं व ८० निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 'नागरिकता और शासन' के बारे में गुजरात के १२ गैर-सरकारी संगठनों के ३५ सहभागियों के लिए २८-३० जून के दौरान एक तालीम कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राजस्थान में निर्वाचित प्रतिनिधियों व संसाधन समूहों के सदस्यों यानी नागरिक नेताओं के लिए जल चेतना यात्रा, किसान महोत्सव, साक्षरता कार्यक्रम और अकाल राहत जैसी सरकारी योजनाओं की प्राप्यता बढ़ाने के लिए जोधपुर जिले की ५ तहसीलों लूणी, बिलाड़ा, फलौदी, मंडोर व बाप में अनेक तालीम कार्यक्रम हुए। इसमें निर्वाचित १७६ महिला प्रतिनिधियों व संसाधन समूहों के २२७ सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य सरकार की जल चेतना यात्रा तथा किसान महोत्सव में भी जागरूकता अभियान में सक्रिय भाग लिया। ६ तहसील पंचायतों की ३० महिला सदस्यों को राज्य में ४ गैर-सरकारी संगठनों के दौरे पर भेजा गया जिससे विकास के वर्तमान मुद्दों के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों के संगठन व लघु स्तरीय योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया में वे सक्रिय बनें। इसके लिए जागरूक हों। इन

शेष पृष्ठ 30 पर

उन्नति

उन्नति
विकास शिक्षण संगठन
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: psu_unnati@unnati.org
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान
फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही
मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।